

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ 1938 (श0) (सं0 पटना 502) पटना, शुक्रवार, 17 जून 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं 17 जून 2016

एस०ओ० 155, दिनांक 17 जून 2016—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा—93 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल, बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 (समय—समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैं :—

संशोधन

- 1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 के उप—नियम (2) का प्रतिस्थापन I— बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 का उप—नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
- ''(2) धारा 15 की उप—धारा (1) या उप—धारा (1A) या उप—धारा (4) के अधीन कर जमा करने वाले व्यौहारी के अतिरिक्त प्रत्येक पंजीकृत व्यौहारी नियम 62 में विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को—
 - (क) दो प्रतियों में फारम RT-I में त्रैमासिक विवरणी;
- (ख) दो प्रतियों में फारम RT-III में वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा।''
- 2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 के उप—नियम (3) का प्रतिस्थापन बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 का उप—नियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''(3) धारा 15 की उप—धारा (1) या उप—धारा (4) के अधीन कर का भुगतान करनेवाला प्रत्येक व्यौहारी नियम 62 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को दो प्रतियों में फारम RT-IV में त्रैमासिक विवरणी दाखिल करेगा :

परन्तु यह कि ऐसे व्यौहारी के मामले में चौथे त्रैमास की विवरणी वार्षिक विवरणी मानी जायेगी।"

- 3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 के उप—नियम (8) का प्रतिस्थापन बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19 का उप—नियम (8) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
- "(8) इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्य—कर आयुक्त अधिसूचना द्वारा किसी निबंधित व्यवसायी अथवा निबंधित व्यवसायी के किसी वर्ग अथवा सभी निबंधित व्यवसायी अथवा किसी परिवहन कर्त्ता आदि को नियमावली द्वारा निर्दिष्ट विवरणी अथवा विवरण इलेक्ट्रॉनिक विधि से दाखिल करने का आदेश दे सकेगा:—"
- 4. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 33 में संशोधन |— बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 33 के उप—नियम (5) में प्रयुक्त शब्द ''चालीस लाख'' शब्द ''एक करोड़'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 5. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-I का प्रतिस्थापन |— बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-I निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

"फारम - RT-I"

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-24 के अधीन त्रैमासिक विवरणी

[देखें नियम 19 (2)]

व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम —
करदाता पहचान संख्या (TIN) —
विवरणी की अवधि (त्रैमास एवं वर्ष) —

भाग - I (व्यापारावर्त्त / अंतरणों के ब्यौरे)

1	सकल आवर्त्त (डेबिट नोट के मूल्य सहित)
	कटौतियाँ :
2	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गयी बिक्री
3 (i)	केन्द्रीय बिक्री—कर अधिनियम, 1956 की धारा—4 के अधीन राज्य के बाहर बिक्री का मूल्य
3(ii)	राज्य के बाहर प्रेषित किए गए भंडार अंतरण का मूल्य
4	अधिनियम के अधीन बिक्री के छः माह के भीतर विक्रय वापसी का मूल्य
5	निर्यात बिक्री
6	अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ (बाक्स A के अनुसार)
7	कुल कटौतियों की राषि (2+3+4+5+6)
8	कराधेय आवर्त (1 – 7)

भाग —II (आउटपुट टैक्स)

कर वार आउटपुट टैक्स का विभाजन

(i)(क) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को पेट्रोल की बिकी (व्यवहारी वार बिकी का ब्योरा बंक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(ख) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को एच०एस०डी० एवं एल०डी०ओ० की बिकी (व्यवहारी वार बिकी का ब्योरा बंक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(प) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को ए०टी०एफ० की बिकी (व्यवहारी वार बिकी का ब्योरा बंक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(द) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिकी (व्यवहारी वार बिकी का ब्योरा बंक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(द) देशी शाव / मसालेदार देशी शाव की बिकी (i)(द) वेश शाव / मसालेदार देशी शाव की बिकी (i)(व) अनुसूबी IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूबी IV के अन्य वस्तुओं की बिकी (ii) अनुसूबी II में विनिर्दिष्ट वस्तुर्ए (वस्तुचार बिकी बंक्स 6 के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूबी III में विनिर्दिष्ट वस्तुर्ए (वस्तुचार बिकी बंक्स 6 के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुर्ए जो किसी अनुसूबी विनिर्दिष्ट नहीं है प्रतिशत (v) वारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुत बिकी = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+(iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिकी का ब्योरा बंक्स B के अनुसार दिया जाय। (vi) वस्तुर्व की बिकी राशि जिनके संबे में वारा—15()(को के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम विकी मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिकी का ब्योरा बंक्स के उमुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यिर 13 से 14 ज्यादा है।	9	बिक्री का विवरण	कर की दर		
(i)(क) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कप्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को पेट्रोल की बिकी (व्यवहारी वार बिकी का ब्योरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(a) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कप्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को एच०एस०डी० एव एल०डी०ओ० की बिकी (व्यवहारी चार बिकी का ब्योरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(a) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को एच०एफ० की बिकी (व्यवहारी चार बिकी का ब्योरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(a) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को प्राथ्वित को प्राकृतिक गैस की बिकी (व्यवहारी चार बिकी का ब्योरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(a) देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिकी (i)(b) देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्त्रीट, शराब अथवा लिकर की बिकी (i)(b) अनुसूची । प के कमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची । V के अन्य वस्तुओं की बिकी (ii) अनुसूची । में में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिकी बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची । में में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिकी बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) द्वारा—13 () के अधीन वस्तुओं की कुल बिकी = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+(iv)(ख)} (व्यवहारीवार बिकी को ब्योर बॉक्स B के अनुसार दिया जाय) (vi) वैसी वस्तुजों की विकी शारे बॉक्स B के अनुसार दिया जाय। (vi) कर्य कर का वार्यी आतर्स प कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिकी का ब्योर बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) अधिकायी रिवर्स केडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।				बिक्री का	भुगतेय
को पेट्रोल की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(ख) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/ व्यक्ति को एच०एस०डी० एवं एल०डी०ओ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(ग) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/ व्यक्ति को एवंटी०एफ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(ख) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/ व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(ख) देशी शराब/ मसालेदार देशी शराब की बिक्री (i)(ख) देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्प्रीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री (i)(ख) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (वॉक्स I के अनुसार ब्यौरे वें) (ii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा–13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+(iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का व्योरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुएँ जो किसी राशि जिंकन संबंध में वस्तुक्त है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बंक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।				आवर्त्त	कर
को पेट्रोल की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(ख) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/ व्यक्ति को एच०एस०डी० एवं एल०डी०ओ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(ग) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/ व्यक्ति को एवंटी०एफ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(ख) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/ व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-1 के अनुसार दिया जाय) (i)(ख) देशी शराब/ मसालेदार देशी शराब की बिक्री (i)(ख) देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्प्रीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री (i)(ख) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (वॉक्स I के अनुसार ब्यौरे वें) (ii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा–13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+(iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का व्योरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुएँ जो किसी राशि जिंकन संबंध में वस्तुक्त है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बंक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(i)(ਂਡ)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति			
(i)(ख) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी / व्यवित को एच०एस०ठी० एवं एल०ठी०ओ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का व्योरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(ग) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी / व्यवित को ए०टी०एफ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का व्योरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(ख) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/ व्यवित को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का व्योरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(ख) देशी शाव / मसालेदार देशी शराब की बिक्री (i)(ख) वेश शाव हिकर की बिक्री (i)(ख) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बंक्स I के अनुसार व्योरे दे) (ii) अनुसूची III में विनिर्देख वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्देख वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिख नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिख नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिख नहीं हैं (iv)(ख) एसी वस्तुलें की को को चील कित B के अनुसार दिया जाय। विस्तुवार बिक्री का ब्योरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय। विस्तुवार बिक्री का ब्यारा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय। विस्तुवार बिक्री का ब्यारा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय। विस्तुवार बिक्री का ब्यारा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय। विस्तुवर्श की बिक्री एस पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यारा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का वायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(7(-)				
को एच०एस०डी० एवं एव०डी०ओ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्योरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को ए०टी०एफ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्योरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(च) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्योरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(ভ) देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री (i)(च) देश के बाहर से आयात किये गये अधवा भारत में निर्मित पोटेबल स्प्रीट, शराब अधवा तिकर की बिक्री (i)(च) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (विंक्स I के अनुसार ब्योरे दें) (ii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) व्यवहारीवार बिक्री का ब्योरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय) (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्योरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त					
(i)(ग) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी / व्यक्ति को एठटी०एफ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का व्योरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(च) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी / व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का व्योरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(ड) देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की बिक्री (i)(ड) देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की बिक्री (i)(ख) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (i)(ख) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (ii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) (vi) विस्तुवार बिक्री को ब्योरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय) (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंघ में धारा–13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)/(क)+(iv)/(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का व्योरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंघ में धारा–15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का व्योरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14–13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(i)(ख)				
(i)(n) एक ऑयल कम्पनी के हारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी व्यक्ति को ए०टी०एफ० की बिक्री (व्यवहारी चार बिक्री का ब्योरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(a) एक ऑयल कम्पनी के हारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्योरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(a) देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्प्रीट, शराब अथवा तिकर की बिक्री (i)(a) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार ब्यौरे दें) (ii) अनुसूची II में विनिर्देष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्देष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्देष्ट नहीं हैं 13.5 प्रतिशत (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्देष्ट नहीं हैं 14.5 प्रतिशत (v) बारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(६)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का मुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।					
को ए०टी०एफ० की बिक्री (व्यवहारी चार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(च) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी / व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी चार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(च) देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की बिक्री (i)(च) देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्त्रीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री (i)(ভ) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार ब्यौरे दें) (ii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) (ख) एसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री एशि जिनके संबंध में धारा—165()(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूट्य पर कर का मुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त	6) ()	9 ,			
(i)(घ) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्तित को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का व्यौरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(ছ) देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री (i)(ছ) देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्प्रीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री (i)(छ) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार व्यौरे दें) (ii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(i)(ग)				
(i)(घ) एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(इ) देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्प्रीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री (i)(छ) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार ब्यौरे दें) (ii) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+(iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्स (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।		,			
(i)(ड) देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय) (i)(ड) देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की बिक्री (i)(ड) देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटंबल स्प्रीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री (i)(ड) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार ब्यौरे दें) (ii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची IIII में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) वैसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा–13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+(iv)(ख)} विस्ता वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में पारा जानक संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	/i\/ \ \-	,			
[देया जाँय) (i)(ह) देशी शराब / मसालंदार देशी शराब की बिक्री (i)(ह) देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्त्रीट, शराब अथवा तिकर की बिक्री (i)(छ) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बांक्स I के अनुसार ब्यौरे दें) (ii) जीर्दिष्ट अन्य (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बांक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बांक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) बारा–13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बांक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा–15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को वाखिल करने वाले व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बांक्स J के अनुसार दिया जाय जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बांक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14–13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(1)(4)				
(i)(च) देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्प्रीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री (i)(छ) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार ब्यौरे दें) (i)(ज) निर्दिष्ट अन्य (ii) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(६)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्स (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।					
(i)(च) देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्प्रीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री (i)(छ) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार ब्यौरे दें) (i)(ज) निर्दिष्ट अन्य (ii) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(६)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का मुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(i)(s.)	देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की बिक्री			
(i)(छ) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार ब्योरे दें) (i)(ज) निर्दिष्ट अन्य (ii) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं 13.5 प्रतिशत (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं 14.5 प्रतिशत (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मृत्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।					
(i)(छ) अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार ब्यौरे दें) (i)(ज) निर्दिष्ट अन्य (ii) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कृत बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(i)(च)	,			
(i)(ज) निर्दिष्ट अन्य (ii) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(i)(54)				
(i)(ज) निर्दिष्ट अन्य (ii) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(s)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(1)(0)				
(ii) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं 13.5 प्रतिशत (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं 14.5 प्रतिशत (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मृत्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(i)(ज)				
(वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।		2 4 H + AAA			
(iii) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये) (iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं 13.5 प्रतिशत (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं 14.5 प्रतिशत (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का व्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(ii)		1 प्रातशत		
(iv)(क) एसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।					
(iv)(क) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(iii)		5 प्रतिशत		
(iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।					
(iv)(ख) ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं 14.5 प्रतिशत (v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(iv)(ক)	ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिदिष्ट नहीं है			
(v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(:) ()	गेगी वार्ता जो कियी अन्यकी विनिर्दिष्ट नहीं हैं			
(v) धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(١٧)(હ્વ)	रता परपुर जा किसा अनुसूचा विभिन्न विशेष			
[व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय] (vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(v)	धारा—13 (1) के अधीन वस्तओं की कल बिक्री = {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)}			
(vi) वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(-)				
धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रियं कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(vi)				
का ब्योरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय) (vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14—13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।	(**)	धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा			
(vii) क्रय कर का दायी आवर्त (viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14-13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।					
(viii) अधिकायी रिवर्स क्रेडिट (14-13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।		,			
	(vii)	क्रय कर का दायी आवर्त्त			
	(viii)	अधिकायी रिवर्स क्रेंडिट (14–13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।			
	10	कुल आउटपुट टैक्स $[(i)(\pi)+(i)(\Xi)+(i)(\Pi)+(i)(\Xi)+(i)$			
$(\overline{\mathbf{c}}.) + (\mathbf{i})(\overline{\mathbf{v}}) + (\mathbf{i})(\overline{\mathbf{v}}) + (\mathbf{v}) + (\mathbf{v})$		(ਫ.)+(i)(ਬ)+(i)(छ)+(i)(ज)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)			

भाग–III (खरीद / प्राप्ति का ब्यौरा)

11.	तिमाही के दौरान खरीद / प्राप्ति का		अनुसूची—IV में वर्णित	अनुसूची– । की वस्तुएँ		अन्य कर	योग्य वस्तुए	Í	कुल
	मूल्य	अधिसूचित वस्तुएँ *	वस्तुएँ	11 1131	1%	5%	13.5%	14.5%	
		वस्तुएँ *							
//;\	राज्य के अन्दर से								
((i)	क्रय (व्यवहारीवार								
	खरीद का ब्यौरा								
	बॉक्स C के								
	अनुसार संलग्न करें)								
(ii)	राज्य के बाहर से								
	क्रय								
(iii)	राज्य के अन्दर से स्टॉक								
	अंतरण—प्राप्तियाँ								
(iv)	राज्य के बाहर से								
	स्टॉक अंतरण— प्राप्तियाँ								
12.	कुल खरीद / प्राप्ति								

^{*}धारा—15(5) के अधीन अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री का व्यवहारीवार ब्यौरा बॉक्स К में दाखिल करें।

भाग-IV (इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं भुगतेय कर)

		मूल्य	कर
13	तिमाही के दौरान व्यवहारी द्वारा क्रय पर चुकाया गया निविष्ट कर (जिसमें विनिर्माता के मामले में क्रय कर भी शामिल है।) —		
14	रिवर्स क्रेडिट (बॉक्स D के अनुसार) —		
15	नियम 12 के अधीन पूंजीगत निवेष के बारे में निविष्ट कर जमा —		
16	गत तिमाही से अग्रनीत असमायोजित निविष्ट कर जमा–		
17	त्रैमास के लिए कुल निविष्ट कर जमा [(13—14)+15+16] —		
18	धारा—24(12) के अधीन छूट (केवल यदि 17 से 10 अधिक होने पर दावा—किया जायेगा एवं 10—17 पर संगणित की जायेगी) —		
19	धारा—उक के अधीन भुगतेय अधिभार —		
20	धारा–3कक के अधीन भुगतेय अतिरिक्त कर –		
21	आउटपुट टैक्स, अधिभार एवं अतिरिक्त कर का कुल योग (छूट को घटाकर) [(10—18)+19+20] —		
22(i)	तिमाही के लिए भुगतेय वैट (21—17) यदि 17 से 21 अधिक है —		
22(ii)	भुगतेय ब्याज		
22(iii)	तिमाही के लिए भुगतेय कर की कुल राशि [22(i)+22(ii)]		
23	असमायोजित निविष्ट कर (17—21) यदि 21 से 17 अधिक है —		
24(i)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन स्वीकृत कर		
24(ii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन देय कर से असमायोजित निविष्ट कर का सामंजन —		
24(iii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन भुगतेय कर, यदि कोई हो [24(i)—24(ii)]		
25(i)	अग्रनीत निविष्ट कर जमा [23-24(ii)] यदि 24(ii) से 23 अधिक है –		

25(ii)	त्रैमास के माह/माहों में भुगतेय कर की सीमा तक भुगतान किया गया वैट–	
25(iii)	कुल अग्रनीत निविष्ट कर जमा [25(i)+25(ii)]	

भाग-V (भुगतान का ब्यौरा)

26	भुगतान का ब्यौरा (बॉक्स - L में वैट एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत किये गये	
	भुगतान का ब्यौरा दर्शाया जाये)—	
(i)	प्रवेश कर के सामंजन द्वारा, यदि कोई हो—	
(ii)	क्रय कर के भुगतान द्वारा, यदि कोई हो (केवल विनिर्माता के मामले में)	
(iii)	धारा—3(7) के अधीन भुगतान किये गये अग्रिम कर के द्वारा, यदि कोई हो—	
(iv)	धारा—40 या 41 के अधीन अग्रिम कर की कटौती द्वारा (प्रमाण पत्र प्रपत्र C-II में संलग्न करें) —	
(v)	डिमांड ड्राफ्ट / चेक (संख्या, भुगतान की तिथि एवं निर्गमित करने वाले बैंक के नाम निर्दिष्ट करें)	
(vi)	नगद	
(vii)	उसी वित्तीय वर्ष के किसी पूर्ववर्ती माह में अधिक भुगतान की गयी राशि के समायोजन द्वारा (ऐसी अधिक राषि की संगणना एवं उसके भुगतान के ढंग का ब्यौरा दें)—	
(viii)	कोई अन्य ढंग, यथा आस्थगन इत्यादि (ढंग विनिर्दिष्ट करें)	
(ix)	आगामी त्रैमास में अग्रनीत अधिकायी कर भुगतान	

में घोषणा करता हूँ कि इस विवरणी में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित है एवं कॉलम 22 में उपदर्शित भुगतेय कर का भुगतान, कोषागार चालान के माध्यम से अथवा कॉलम 26 में उपदर्शित ढंग से कर दिया गया है तथा चालान एवं/अथवा प्रपत्र C-II में कटौती प्रमाण—पत्र, उक्त भुगतान/कटौती के संबंध में साक्ष्य के रूप में इसके साथ संलग्न है।

में आगे घोषित करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं इस रिटर्न में एवं इसके साथ दी गई विशिष्टियाँ एक बिक्री कर निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस विवरणी को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करने हेतु सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान :	प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
तिथि :	(व्यवसायी के संबंध में प्रास्थिति)

बॉक्स A (अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ)

	निम्नलिखित के बारे में कटौतियाँ :—	मूल्य
(i)	अधिनियम की अनुसूची—I में उल्लिखित वस्तुओं की बिक्री	
(ii)	एक ऑयल कंपनी द्वारा अन्य ऑयल कंपनी को पेट्रोल, डीजल, ए०टी०एफ० एवं प्राकृतिक गैस की बिक्री (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की, उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ—साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न करें)। (विभिन्न कंपनियों को बेची गयी वस्तुओं का ब्यौरा बॉक्स E-2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाय)	
(iii)	बिहार राज्य के भीतर भंडार अंतरण का मूल्य—	
(iv)	कार्य संवेदक के मामले में श्रम एवं अन्य प्रभार की राशि —	

(v)	धारा—15(5) के आलोक में ऐसी वस्तुओं की बिक्री जिसपर खरीद के समय, अधिकतम खुदरा	
	मूल्य पर कर का भुगतान किया गया है –	
(vi)	अधिनियम की धारा—13(2)(ख) के अधीन पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री जिस पर बिक्री के प्रथम	
	बिन्दु पर कर का भुगतान किया गया है (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की उनके संबंधित	
	बिक्री मूल्य के साथ—साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न की जाय) —	
(vii)	अनुसूची v में विनिर्दिष्ट संगठनों को बिक्री —	
	कुल $[(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)]$ (रिटर्न के क्रम सं० ६ पर ले जायें)	

बॉक्स B (व्यवहारीवार करदेय बिक्री का विवरण जैसा कि भाग-II के क्रमांक 9(v) में उल्लेखित है।)

I-निबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र0 सं0	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	बिक्री का मूल्य						
		1%	4%	5%	13.5%	14.5%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
1								
2								
3								
कुल								

(नोटः यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पन्नों का व्यवहार करें)

II-अनिबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र0 सं0	अनिबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	पूर्ण पता	बिक्री का मूल्य						
			1%	4%	5%	13.5%	14.5%	मुफ्त आपूरित वस्तुए	कुल
1									
2									
3									
कुल									

(नोटः यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पन्नों का व्यवहार करें)

III- उपभोक्ताओं को बिक्री :

III OTHERIOR TO TEACH.											
		बिक्री का मूल्य									
	1%	4%	5%	13.5%	14.5%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल				
उपभोक्ताओं को कुल बिक्री :											

बॉक्स C [अनूसूची I एवं एम०आर०पी० वस्तुओं को छोड़कर अन्य कर योग्य वस्तुओं का व्यवहारीवार क्रय जैसा कि भाग—III के क्रमांक 11(i) में उल्लेखित है।]

I-निबंधित व्यवहारी से क्रय :

क्र0 सं0	निबंधित व्यवहारी	करदाता				क्रय	का मूल्य			
440	का नाम एव अधिनाम जिससे क्रय किया गया है	पहचान संख्या	अनुसूची IV की वस्तुएँ	1%	4%	5%	13.5%	14.5%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
1										
2										
3										
4										
	कुल									

(नोटः यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का व्यवहार करें)

II-अनिबंधित व्यवहारी / व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से क्रय :

क्र0 सं0	अनिबंधित व्यवहारी					क्रय क	ा मूल्य		
440	का नाम एवं अधिनाम जिससे क्रय किया गया है	पूरा पता	1%	4%	5%	13.5%	14.5%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
1									
2									
3									
4									
	कुल								

(नोटः यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

बॉक्स'-D (रिवर्स क्रेडिट)

	निम्नलिखित के कारण प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) :	मूल्य	कर
(i)	विनिर्माता व्यवहारी के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष का इनपुट—आउटपुट अनुपात (नियम 15 के अनुसार "K")		
(ii)	राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण		
(iii)	अन्तर्प्रान्तीय भंडार अंतरण		
(iv)	इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा की गयी खरीद वापसी –		
(v)	वस्तुओं, उपहार अथवा स्व–उपभोग के अधिकार का अतंरण–		
(vi)	अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(vii)	अनुसूची I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(viii)	चोरी हुई, खो गयी अथवा बर्बाद हो गयी वस्तुओं का मूल्य, यदि कोई हो		
(ix)	खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेचे गये माल		
(x)	कुल प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) (रिटर्न के) कॉलम 14 पर ले जाया जाय)		

बॉक्स'—E-I/E-2 (पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस एवं ए०टी०एफ० की व्यवहारी वार बिक्री) बॉक्स E-I के योग वस्तुवार कॉलम 9(i)क से 9(i)घ पर ले जायें एवं बॉक्स— E-2 का योग बॉक्स के A कॉलम (ii) पर ले जायें

क्र0 सं0	व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान सं0	की बिक्रीयों का मूल्य						
			पेट्रोल	डीजल	प्राकृतिक गैस	ए०टी०एफ०	कुल		
1									
2									
3									
4									
5									
कुल									

बॉक्स'—F (दावों के समर्थन में जमा किये गये वैधानिक प्रपत्र/घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र का ब्यौरा)

क्रo संo	प्रपत्रों का विवरण	प्रपत्रों की संख्या	अवधि जिससे संव्यवहार संबंधित हैं	प्रपत्रों का मूल्य
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			
6	С			
7	EI/EII			
8	F			
9	Н			
10	I			
11	J			

बॉक्स- G [वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि पार्ट-II के क्रमांक 9 (ii) से 9(iii) तक में उल्लेखित है।]

頭ο	वस्तु का			बिक्री का आवर्त्त		
सं०	वस्तु का विवरण	कर की दर	अनुसूची का नाम	अनुसूची का भाग, यदि कोई हो	प्रविष्टि संख्या	

(नोट:- यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

बॉक्स- H (विनिर्माता तथा कार्य संविदाकार व्यवहारियों द्वारा क्रय के ब्यौरे)

मेटेरियल	राज्य के अंदर से	राज्य के बाहर से	कुल
कच्चा माल			
पैकिंग मेटेरियल			
प्लान्ट तथा मषीनरी			
कुल			

बॉक्स I (वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि क्रमांक 9(i)(छ) में उल्लेखित है।)

				वस्तुवार	बिक्री का मूल	य एवं भुगतेय	कर	
क्रo. संo	अनुसूची IV के वस्तु का नाम (अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर)	कर दर	केवल बिक्री के प्रथम बिन्दु पर करारोपण होने वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	सभी बिन्दुओं पर भुगतेय कर वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	स्तम्भ – 4 पर कुल कर	स्तम्भ – 5 पर कुल कर	नियम 10क के अन्तर्गत कर का सामंजन	कुल भुगतेय कर [6+(7-8)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3						·		
4								
	कर			_				

बॉक्स J (व्यवहारीवार एम०आर०पी० वस्तुओं की बिक्री का विवरण जैसा कि क्रमांक 9(vii) में उल्लेखित है।)

(i) निबंधित व्यवहारी को बिक्री :

	निबंधित	करदाता				एम०आर०पी० व	स्तुओं का	मूल्य			
क्रo संo	व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	। नाम संख्या एवं धेनाम ।सको ही की		अनुसूची III के मालों की बिक्री		अविर्निदिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	
			मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	
1											
2											
3											
4											
	कुल		,	\ \\							

(नोट:- यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

(ii) अनिबंधित व्यवहारी को बिक्री :

	व्यवहारी	पूर्ण		एम०आर०पी० वस्तुओं का मूल्य									
क्रo. संo	का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	पता	अनुसूची की	III के मालों बिक्री	अविर्निदि	ष्ट वस्तुओं की बिक्री	मुफ्त उ	गपूर्तित वस्तु					
			व्यापार	एम०आर०	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०			
			मूल्य	पी० मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य			
1													
2													

3						
4						
	कुल	·				

(नोट:- यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

(iii) उपभोक्ताओं को बिक्री :

			1	एम०आर०पी० वस्त्	ओं का मू	्ल्य			
		l के मालों की बेक्री	अविर्निदिष्ट व	स्तुओं की बिक्री		कुल	मुफ्त आपूर्तित वस्तु		
उपभोक्ताओं	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार मूल्य	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	
को बिक्री	मूल्य	मूल्य		मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	
का ।बक्रा									

कुल एम०आर०पी० बिक्री (i)+(ii)+(iii) = रू०.....

बॉक्स K (धारा 15(5) के अन्तर्गत राज्य के अन्दर एम०आर०पी० वस्तुओं का भंडार अंतरण तथा खरीद से प्राप्त मालों का व्यवहारीवार विवरण जैसा कि क्रमांक 11 में उल्लेखित है।)

(i) निबंधित व्यवहारी से खरीद / प्राप्त भंडार अंतरणः

	निबंधित	करदाता		एम०आर०पी० वस्तुओं का क्रय / प्राप्ति मूल्य						
क्रo. संo	व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिनसे खरीद / भंडार प्राप्त किया गया है।	पहचान संख्या	अनुसूर्च की खरी	अनुसूची III के मालों अविर्निदिष्ट वस्तुओं की की खरीद/प्राप्त भंडार खरीद/प्राप्त भंडार		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु		
			व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी
			मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	० मूल्य
1										
2										
3										
4										
	कुल									

(नोट:- यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

बॉक्स- L [वैट एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत मासिक कर भुगतान का विवरण]

						<u> </u>			
क्रo संo	माह का नाम	अधिनियम का नाम (वैट / प्रवेश कर)	माह का आउटपुट कर यदि कोई हो	माह का इनपुट टैक्स यदि कोई हो	माह में भुगतेय कर यदि कोई हो	भुगतान की गयी कर की राशि	भुगतान की गयी ब्याज की राशि	कर भुगतान की तिथि	चलान सं0
1									
2									
3									
कुल									

मैं घोषणा करता हूँ कि	इस रिटर्न एवं विभिन्न	बॉक्स में दिये गये वि	विरण सत्य एवं पूर्ण	लेखाओं पर आधारित हैं।
मैं आगे	[.] घोषणा करता हूँ कि	इस रिटर्न में दिये	गये विवरण एवं दी	गई विशिष्टियाँ एक निबंधित
व्यवसायी के रूप में मेरी	सर्वोत्तम जानकारी एवं	विश्वास में सही एवं	पूर्ण है तथा मैं इस	रिटर्न को हस्ताक्षरित करने एवं
दाखिल करने हेतु सर्वथा	: योग्य हूँ।			

स्थान : प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर, तिथि : व्यवसायी से प्रास्थिति 6. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-III का प्रतिस्थापन — बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-III निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

"फारम - RT-III"

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-24 के अधीन वार्षिक विवरणी

[देखें नियम 19 (2)]

व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम –
करदाता पहचान संख्या (TIN) –
विवरणी की अवधि (वर्ष) –

भाग – I (व्यापारावर्त्त / अंतरणों के ब्यौरे)

1	सकल आवर्त्त (डेबिट नोट के मूल्य सहित)	
	कटौतियाँ :	
2	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गयी बिक्री	
3 (i)	केन्द्रीय बिक्री—कर अधिनियम, 1956 की धारा—4 के अधीन राज्य के बाहर बिक्री का मूल्य	
3(ii)	राज्य के बाहर प्रेषित किए गए भंडार अंतरण का मूल्य	
4	अधिनियम के अधीन बिक्री के छः माह के भीतर विक्रय वापसी का मूल्य	
5	निर्यात बिक्री	
6	अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ (बाक्स A के अनुसार)	
7	कुल कटौतियों की राषि (2+3+4+5+6)	
8	कराधेय आवर्त (1 – 7)	

भाग —II (आउटपुट टैक्स)

कर वार आउटपुट टैक्स का विभाजन

9	बिक्री का विवरण	कर की	बिक्री का	भुगतेय
		दर	आवर्त्त	कर
(i)(क)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति			
	को पेट्रोल की बिक्री			
(i)(ख)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति			
	को एच०एस०डी० एवं एल०डी०ओ० की बिक्री			
(i)(ग)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति			
	को ए०टी०एफ० की बिक्री			
(i)(ਬ)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति			
	को प्राकृतिक गैस की बिक्री			
(i)(ਫ.)	देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की बिक्री			
(i)(ਂ ਬ)	देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्प्रीट, शराब			
	अथवा लिकर की बिक्री			
(i)(छ)	अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री			
	(बॉक्स H के अनुसार ब्योरे दें)			
(i)(ज)	निर्दिष्ट अन्य			
(ii)	अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ	1		
	(वस्तुवार बिक्री बॉक्स F के अनुसार दर्षाया जाये)	प्रतिशत		
-				

(iii)	अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स F के अनुसार दर्शाया जाये)	5 प्रतिशत	
(iv)(क)	ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं	13.5 प्रतिशत	
(iv)(ख)	ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं	14.5 प्रतिशत	
(v)	धारा -13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री $=\{(ii)+(iii)+(iv)(क)+(iv)(ख)\}$		
(vi)	वैसी वस्तुओं की बिक्री राशि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है।		
(vii)	क्रय कर का दायी आवर्त्त		
(viii)	अधिकायी रिवर्स क्रेंडिट (14–13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।		
10	कुल आउटपुट टैक्स [(i)(क)+(i)(ख)+(i)(ग)+(i)(घ)+(i)(ਢ.)+(i)(घ)+(i)(छ)+(i)(ज)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)		

भाग-III (खरीद / प्राप्ति एवं भंडार का ब्यौरा)

111.	वर्ष के दौरान	धारा–15	(5) के	अनुसूची–IV	अनुसूची— ।		अन्य कर	योग्य वस्तु	Ÿ	कुल
	खरीद / प्राप्ति / भंडार का		अधिसूचित	में वर्णित	की वस्तुएँ	401		40 =01	4.4 = 0.4	
	मूल्य	वस्तुएँ		वस्तुएँ		1%	5%	13.5%	14.5%	
(i)	राज्य के अन्दर से क्रय									
/:: \	राज्य के बाहर से क्रय									
(ii)	राज्य पर बाहर स प्रत्य									
(iii)	राज्य के अन्दर से स्टॉक									
	अंतरण–प्राप्तियाँ									
(iv)	राज्य के बाहर से स्टॉक									
	अंतरण– प्राप्तियाँ									
(v)	आरंभिक भंडार का मूल्य									
(.)										
(vi)	अंतिम शेष भंडार का									
12.	मूल्य कुल खरीद/प्राप्ति									
12.	पुरा जराय/ श्राप									
L	l	1		, ,0			ı	l .		

भाग-IV (इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं भुगतेय कर)

		मूल्य	कर
13	वर्ष के दौरान व्यवहारी द्वारा क्रय पर चुकाया गया निविष्ट कर (जिसमें विनिर्माता के मामले में क्रय कर भी शामिल है।) —		
14	रिवर्स क्रेडिट (बॉक्स C के अनुसार) –		
15	नियम 12 के अधीन पूंजीगत निवेष के बारे में निविष्ट कर जमा —		
16	गत वर्ष से अग्रनीत असमायोजित निविष्ट कर जमा–		
17	वर्ष के लिए कुल निविष्ट कर जमा [(13—14)+15+16] —		
18	धारा—24(12) के अधीन छूट (केवल यदि 17 से 10 अधिक होने पर दावा—किया जायेगा एवं 10—17 पर संगणित की जायेगी) —		
19	धारा–3क के अधीन भुगतेय अधिभार –		
20	धारा–उकक के अधीन भुगतेय अतिरिक्त कर –		

21	आउटपुट टैक्स, अधिभार एवं अतिरिक्त कर का कुल योग (छूट	
	को घटाकर) [(10—18)+19+20] —	
22(i)	वर्ष के लिए भुगतेय वैट (21—17) यदि 17 से 21 अधिक है —	
22(ii)	भुगतेय ब्याज	
22(iii)	वर्ष के लिए भुगतेय कर की कुल राषि [22(i)+22(ii)]	
23	असमायोजित निविष्ट कर (17–21) यदि 21 से 17 अधिक है –	
24(i)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन स्वीकृत कर	
24(ii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन देय कर से असमायोजित निविष्ट कर का सामंजन —	
24(iii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन भुगतेय कर, यदि कोई हो [24(i)–24(ii)]	
25	धारा– 16 (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन दावाकृत	
	असमायोजित इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी, यदि कोई	
26(i)	अग्रनीत निविष्ट कर जमा [23-{24(ii)+25}]	
26(ii)	वर्ष के माह/माहों में भुगतेय कर की सीमा तक भुगतान किया गया वैट—	
26(iii)	कुल अग्रनीत निविष्ट कर जमा [26(i)+26(ii)]	

भाग-V (भुगतान का ब्यौरा)

27	भुगतान का ब्यौरा (बॉक्स - । में वैट एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत किये गये भुगतान का ब्यौरा दर्शाया जाये)—	
(i)	प्रवेश कर के सामंजन द्वारा, यदि कोई हो-	
(ii)	क्रय कर के भुगतान द्वारा, यदि कोई हो (कंवल विनिर्माता के मामले में)	
(iii)	धारा—3(7) के अधीन भुगतान किये गये अग्रिम कर के द्वारा, यदि कोई हो—	
(iv)	धारा—40 या 41 के अधीन अग्रिम कर की कटौती द्वारा (प्रमाण पत्र प्रपत्र C-II में संलग्न करें) —	
(v)	डिमांड ड्राफ्ट / चेक (संख्या, भुगतान की तिथि एवं निर्गमित करने वाले बैंक के नाम निर्दिष्ट करें)	
(vi)	नगद	
(vii)	उसी वित्तीय वर्ष के किसी पूर्ववर्ती माह में अधिक भुगतान की गयी राशि के समायोजन द्वारा (ऐसी अधिक राशि की संगणना एवं उसके भुगतान के ढंग का ब्यौरा दें)—	
(viii)	कोई अन्य ढंग, यथा आस्थगन इत्यादि (ढंग विनिर्दिष्ट करें)	
(ix)	वर्ष में किया गया अधिकायी कर भुगतान	

मैं घोषणा करता हूँ कि इस विवरणी में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित है एवं कॉलम 22 में उपदर्शित भुगतेय कर का भुगतान, कोषागार चालान के माध्यम से अथवा कॉलम 27 में उपदर्शित ढंग से कर दिया गया है तथा चालान एवं/अथवा प्रपत्र C-II में कटौती प्रमाण-पत्र, उक्त भुगतान/कटौती के संबंध में साक्ष्य के रूप में इसके साथ संलग्न है।

मैं आगे घोषित करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं इस रिटर्न में एवं इसके साथ दी गई विशिष्टियाँ एक बिक्री कर निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस विवरणी को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करने हेतु सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान : प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर तिथि : (व्यवसायी के संबंध में प्रास्थिति)

बॉक्स A (अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ)

	निम्नलिखित के बारे में कटौतियाँ	मूल्य
(i)	अधिनियम की अनुसूची—। में उल्लिखित वस्तुओं की बिक्री	
(ii)	एक ऑयल कंपनी द्वारा अन्य ऑयल कंपनी को पेट्रोल, डीजल, ए०टी०एफ० एवं प्राकृतिक गैस की बिक्री (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की, उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ—साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न करें)। (विभिन्न कंपनियों को बेची गयी वस्तुओं का ब्यौरा बॉक्स D के अनुसार प्रस्तुत किया जाय)	
(iii)	बिहार राज्य के भीतर भंडार अंतरण का मूल्य-	
(iv)	कार्य संवेदक के मामले में श्रम एवं अन्य प्रभार की राशि –	
(v)	धारा—15(5) के आलोक में ऐसी वस्तुओं की बिक्री जिसपर खरीद के समय, अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान किया गया है —	
(vi)	अधिनियम की धारा—13(2)(ख) के अधीन पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री जिस पर बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर का भुगतान किया गया है (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ—साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न की जाय) —	
(vii)	अनुसूची v में विनिर्दिष्ट संगठनों को बिक्री —	
	कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)] (रिटर्न के क्रम सं० 6 पर ले जायें)	

बॉक्स B

वस्तु का नाम	कर की दर	बिक्री का आवर्त्त	भुगतेय कर
पेट्रोल			
डीजल			
ए०टी०एफ०			
प्राकृतिक गैस			
कुल			

बॉक्स'—C (रिवर्स क्रेडिट)

	निम्नलिखित के कारण प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) :	मूल्य	कर
(i)	विनिर्माता व्यवहारी के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष का मूल इनपुट–आउटपुट अनुपात		
	का मूल्य (नियम 15 के अनुसार "K")		
(ii)	विनिर्माता व्यवहारी के मामले में वर्त्तमान वर्ष के पुनरीक्षित इनपुट—आउटपुट		
	अनुपात का मूल्य (नियम 16 के अनुसार पुनरीक्षित "K")		
(iii)	राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण		
(iv)	अन्तर्प्रान्तीय भंडार अंतरण		
(v)	इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा की गयी खरीद वापसी –		
(vi)	वस्तुओं, उपहार अथवा स्व–उपभोग के अधिकार का अतंरण–		

(vii)	अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री	
(viii)	अनुसूची I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री	
(ix)	चोरी हुई, खो गयी अथवा बर्बाद हो गयी वस्तुओं का मूल्य, यदि कोई हो	
(x)	खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेचे गये माल	
(xi)	कुल प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) (रिटर्न के कॉलम 14 पर ले जाया जाय)	

बॉक्स'-D (पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस एवं ए०टी०एफ० की बॉक्स A के कॉलम (ii) के अनुसार व्यवहारी वार बिक्री)

वाप	बारस – 🗅 (पट्राल, डाजल, प्राकृतिक गर्स १५ १०८१०१४० का बारस 🗡 के कालन (11) के अनुसार व्यवहारी पार बिक्रा)							
क्र0 सं0	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान संख्या	र्को बिक्रीयों का मूल्य					
			पेट्रोल	डीजल	प्राकृतिक गैस	ए०टी०एफ०	कुल	
1								
2								
3								
4								
कुल								

बॉक्स'-E (दावों के समर्थन में जमा किये गये वैधानिक प्रपत्र/घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र का ब्यौरा)

क्र० सं०	प्रपत्रों का विवरण	प्रपत्रों की संख्या	अवधि जिससे संव्यवहार संबंधित हैं	प्रपत्रों का मूल्य
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			
6	С			
7	EI/EII			
8	F			
9	Н			
10	I			
11	J			

बॉक्स- F [वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि पार्ट-II के क्रमांक 9 (ii) से 9(iii) तक में उल्लेखित है।]

क्र०			अन्	बिक्री का आवर्त्त		
सं०	वस्तु का विवरण	कर की दर	अनुसूची का नाम	अनुसूची का भाग, यदि कोई हो	प्रविष्टि संख्या	
1						
2						
3						
कुल						

बॉक्स- G (विनिर्माता तथा कार्य संविदाकार व्यवहारियों द्वारा क्रय के ब्यौरे)

मेटेरियल्स	राज्य के अंदर से	राज्य के बाहर से	कुल
कच्चा माल			
पैकिंग मेटेरियल			
प्लान्ट तथा मशीनरी			
कुल			

बॉक्स H (वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि क्रमांक 9(i)(छ) में उल्लेखित है।)

			वस्तुवार बिक्री का मूल्य एवं भुगतेय कर						
क्रo. संo	अनुसूची IV के वस्तु का नाम (अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर)	कर की दर	केवल बिक्री के प्रथम बिन्दु पर करारोपण होने वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	बिक्री के सभी बिन्दुओं पर करारोपण होने वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	स्तम्भ – 4 पर कुल कर	स्तम्भ – 5 पर कुल कर	नियम 10क के अन्तर्गत कर का सामंजन	कुल भुगतेय कर [6+(7- 8)]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
	कर								

बॉक्स- | [वैट, केन्द्रीय बिक्री कर एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत मासिक कर भुगतान का विवरण]

क्रo संo	माह का नाम	अधिनियम का नाम (वैट / सी०एस०टी० / प्रवेश कर)	माह का आउटपुट कर यदि कोई हो	माह का इनपुट टैक्स यदि कोई हो	माह में भुगतेय कर यदि कोई हो	भुगतान की गयी कर की राशि	भुगतान की गयी ब्याज की राशि	कर भुगतान की तिथि	चलान सं0
1									
2									
3									
कुल									

में घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न एवं विभिन्न बॉक्स में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित हैं।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं दी गई विशिष्टियाँ एक निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विष्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस रिटर्न को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करने हेतु सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान :	प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर,
तिथि :	व्यवसायी से प्रास्थिति

7. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-V का प्रतिस्थापन — बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-V निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

"फारम - RT-V"

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा—24 के अधीन संशोधित त्रैमासिक विवरणी [देखें नियम 19 (4)]

व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम —
करदाता पहचान संख्या (TIN) —
विवरणी की अवधि (त्रैमास एवं वर्ष) —

भाग - I (व्यापारावर्त्त / अंतरणों के ब्यौरे)

1	सकल आवर्त्त (डेबिट नोट के मूल्य सहित)
	कटौतियाँ :
2	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गयी बिक्री
3(i)	केन्द्रीय बिक्री—कर अधिनियम, 1956 की धारा—4 के अधीन राज्य के बाहर बिक्री का मूल्य
3(ii)	राज्य के बाहर प्रेषित किए गए भंडार अंतरण का मूल्य
4	अधिनियम के अधीन बिक्री के छः माह के भीतर विक्रय वापसी का मूल्य
5	निर्यात बिक्री
6	अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ (बाक्स A के अनुसार)
7	कुल कटौतियों की राशि (2+3+4+5+6)
8	कराधेय आवर्त (1–7)

भाग –II (आउटपुट टैक्स)

कर वार आउटपुट टैक्स का विभाजन

9	बिक्री का विवरण	कर की	बिक्री का	भुगतेय
		दर	आवर्त्त	कर
(i)(क)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी / व्यक्ति को पेट्रोल की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय)			
(i)(ख)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को एच०एस०डी० एवं एल०डी०ओ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय)			
(i)(ग)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी / व्यक्ति को ए०टी०एफ० की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय)			
(i)(ঘ)	एक ऑयल कम्पनी के द्वारा दूसरे ऑयल कम्पनी के अलावे किसी व्यवहारी/व्यक्ति को प्राकृतिक गैस की बिक्री (व्यवहारी वार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स E-I के अनुसार दिया जाय)			
(i)(ভ.)	देशी शराब / मसालेदार देशी शराब की बिक्री			

(i)(च)	देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्प्रीट, शराब अथवा लिकर की बिक्री		
(i)(छ)	अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर अनुसूची IV के अन्य वस्तुओं की बिक्री (बॉक्स I के अनुसार ब्यौरे दें)		
(i)(ज)	निर्दिष्ट अन्य		
(ii)	अनुसूची II में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्षाया जाये)	1 प्रतिशत	
(iii)	अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ (वस्तुवार बिक्री बॉक्स G के अनुसार दर्शाया जाये)	5 प्रतिशत	
(iv)(क)	ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं	13.5 प्रतिशत	
(iv)(ख)	ऐसी वस्तुएँ जो किसी अनुसूची विनिर्दिष्ट नहीं हैं	14.5 प्रतिशत	
(v)	धारा—13 (1) के अधीन वस्तुओं की कुल बिक्री {(ii)+(iii)+(iv)(क)+ (iv)(ख)} [व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स B के अनुसार दिया जाय]		
(vi)	वैसी वस्तुओं की बिक्री राषि जिनके संबंध में धारा—15(5)(क) के अधीन इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा अधिकतम बिक्री मूल्य पर कर का भुगतान किया जा चुका है। (व्यवहारीवार बिक्री का ब्यौरा बॉक्स J के अनुसार दिया जाय)		
(vii)	क्रय कर का दायी आवर्त्त		
(viii)	अधिकायी रिवर्स क्रेंडिट (14–13) यदि 13 से 14 ज्यादा है।		
10	कुल आउटपुट टैक्स [(i)(क)+(i)(ख)+(i)(ग)+(i)(घ)+(i)(ड.)+(i)(च)+(i)(छ)+(i)(ज)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)		

भाग-III (खरीद / प्राप्ति का ब्यौरा)

11.	तिमाही के दौरान खरीद / प्राप्ति का मूल्य	धारा—15 (5) के	अनुसूची—IV में वर्णित	अनुसूची— । की वस्तुएँ		अन्य क	र योग्य वस्तुर	Í	कुल
		अधीन	वस्तुएँ	पग परपुर	1%	5%	13.5%	14.5%	
		अधिसूचित वस्तुएँ *							
		4,0,							
((i)	राज्य के अन्दर से क्रय (व्यवहारीवार खरीद का								
	ब्यौरा बॉक्स C के अनुसार संलग्न करें)								
(ii)	राज्य के बाहर से क्रय								
(iii)	राज्य के अन्दर से स्टॉक अंतरण–प्राप्तियाँ								
(iv)	राज्य के बाहर से स्टॉक								
	अंतरण— प्राप्तियाँ								
12.	कुल खरीद / प्राप्ति								

^{*}धारा—15(5) के अधीन अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री का व्यवहारीवार ब्यौरा बॉक्स K में दाखिल करें।

भाग—IV (इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं भुगतेय कर)

		मूल्य	कर
13	तिमाही के दौरान व्यवहारी द्वारा क्रय पर चुकाया गया निविष्ट कर (जिसमें विनिर्माता के मामले में क्रय कर भी शामिल है।) —		
14	रिवर्स क्रेडिट (बॉक्स D के अनुसार) —		
15	नियम 12 के अधीन पूंजीगत निवेश के बारे में निविष्ट कर जमा —		
16	गत तिमाही से अग्रनीत असमायोजित निविष्ट कर जमा—		
17	त्रैमास के लिए कुल निविष्ट कर जमा [(13—14)+15+16] —		
18	धारा—24(12) के अधीन छूट (केवल यदि 17 से 10 अधिक होने पर दावा—िकया जायेगा एवं 10—17 पर संगणित की जायेगी) —		
19	धारा—3क के अधीन भुगतेय अधिभार —		
20	धारा–3कक के अधीन भुगतेय अतिरिक्त कर –		
21	आउटपुट टैक्स, अधिभार एवं अतिरिक्त कर का कुल योग (छूट को घटाकर) [(10—18)+19+20] —		
22(i)	तिमाही के लिए भुगतेय वैट (21—17) यदि 17 से 21 अधिक है —		
22(ii)	भुगतेय ब्याज		
22(iii)	तिमाही के लिए भुगतेय कर की कुल राषि [22(i)+22(ii)]		
23	असमायोजित निविष्ट कर (17—21) यदि 21 से 17 अधिक है —		
24(i)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन स्वीकृत कर		
24(ii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन देय कर से असमायोजित निविष्ट कर का सामंजन —		
24(iii)	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन भुगतेय कर, यदि कोई हो [24(i)—24(ii)]		
25(i)	अग्रनीत निविष्ट कर जमा [23-24(ii)] यदि 24(ii) से 23 अधिक है —		
25(ii)	त्रैमास के माह / माहों में भुगतेय कर की सीमा तक भुगतान किया गया वैट—		
25(iii)	कुल अग्रनीत निविष्ट कर जमा [25(i)+25(ii)]		

भाग-V (भुगतान का ब्यौरा)

26	भुगतान का ब्यौरा (बॉक्स - L में वैट एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत किये गये भुगतान का ब्यौरा दर्शाया जाये)—	
(i)	प्रवेश कर के सामंजन द्वारा, यदि कोई हो—	
(ii)	क्रय कर के भुगतान द्वारा, यदि कोई हो (केवल विनिर्माता के मामले में)	
(iii)	धारा—3(7) के अधीन भुगतान किये गये अग्रिम कर के द्वारा, यदि कोई हो—	
(iv)	धारा—40 या 41 के अधीन अग्रिम कर की कटौती द्वारा (प्रमाण पत्र प्रपत्र C-II में संलग्न करें)—	
(v)	डिमांड ड्राफ्ट / चेक (संख्या, भुगतान की तिथि एवं निर्गमित करने वाले बैंक के नाम निर्दिष्ट करें)	
(vi)	नगद	
(vii)	उसी वित्तीय वर्ष के किसी पूर्ववर्ती माह में अधिक भुगतान की गयी राषि के समायोजन द्वारा (ऐसी अधिक राषि की संगणना एवं उसके भुगतान के ढंग का ब्यौरा दें)—	
(viii)	कोई अन्य ढंग, यथा आस्थगन इत्यादि (ढंग विनिर्दिष्ट करें)	
(ix)	आगामी त्रैमास में अग्रनीत अधिकायी कर भुगतान	

में घोषणा करता हूँ कि इस विवरणी में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित है एवं कॉलम 22 में उपदर्शित भुगतेय कर का भुगतान, कोषागार चालान के माध्यम से अथवा कॉलम 26 में उपदर्शित ढंग से कर दिया गया है तथा चालान एवं/अथवा प्रपत्र C-II में कटौती प्रमाण—पत्र, उक्त भुगतान/कटौती के संबंध में साक्ष्य के रूप में इसके साथ संलग्न है।

में आगे घोषित करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं इस रिटर्न में एवं इसके साथ दी गई विशिष्टियाँ एक बिक्री कर निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस विवरणी को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करने हेतु सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान : प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर तिथि : (व्यवसायी के संबंध में प्रास्थिति)

बॉक्स A (अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ)

_		T
	निम्नलिखित के बारे में कटौतियाँ :	मूल्य
(i)	अधिनियम की अनुसूची—। में उल्लिखित वस्तुओं की बिक्री	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
(ii)	एक ऑयल कंपनी द्वारा अन्य ऑयल कंपनी को पेट्रोल, डीजल, ए०टी०एफ० एवं प्राकृतिक	
` ′	गैस की बिक्री (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की, उनके संबंधित बिक्री मूल्य के	
	साथ-साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न करें)। (विभिन्न कंपनियों को बेची गयी वस्तुओं	
	का ब्यौरा बॉक्स E-2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाय)	
(:::\	बिहार राज्य के भीतर भंडार अंतरण का मृल्य-	
(iii)	THEIR COME TO THE STATE OF THE	
(iv)	कार्य संवेदक के मामले में श्रम एवं अन्य प्रभार की राशि –	
()		
(v)	धारा—15(5) के आलोक में ऐसी वस्तुओं की बिक्री जिसपर खरीद के समय, अधिकतम	
	खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान किया गया है –	
(vi)	अधिनियम की धारा—13(2)(ख) के अधीन पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री जिस पर बिक्री के	
(**)	प्रथम बिन्दू पर कर का भूगतान किया गया है (इस रिटर्न के साथ विभिन्न वस्तुओं की	
	उनके संबंधित बिक्री मूल्य के साथ-साथ पृथक रूप से एक सूची संलग्न की जाय) -	
(, .::)		
(vii)	अनुसूची v में विनिर्दिष्ट संगठनों को बिक्री —	
	कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)] (रिटर्न के क्रम सं० 6 पर ले जायें)	
	1	l .

बॉक्स B (व्यवहारीवार करदेय बिक्री का विवरण जैसा कि भाग-II के क्रमांक 9(v) में उल्लेखित है।)

I-निबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र0 सं0	निबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	बिक्री का मूल्य						
		1%	4%	5%	13.5%	14.5%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
1								
2								
3								
कुल								

(नोटः यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पन्नों का व्यवहार करें)

II-अनिबंधित व्यवहारी को बिक्री :

क्र0 सं0	अनिबंधित व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	पूर्ण पता	बिक्री का मूल्य						
			1%	4%	5%	13.5%	14.5%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
1									
2									
3									
कुल									

(नोटः यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पन्नों का व्यवहार करें)

III- उपभोक्ताओं को बिक्री :

		बिक्री का मूल्य									
	1%	4%	5%	13.5%	14.5%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल				
उपभोक्ताओं को कुल बिक्री :											

बॉक्स C [अनूसूची I एवं एम०आर०पी० वस्तुओं को छोड़कर अन्य कर योग्य वस्तुओं का व्यवहारीवार क्रय जैसा कि भाग—III के क्रमांक 11(i) में उल्लेखित है।]

I-निबंधित व्यवहारी से क्रय:

क्र0 सं0	निबंधित व्यवहारी	करदाता	क्रय का मूल्य							
410	का नाम एवं अधिनाम जिससे क्रय किया गया है	पहचान संख्या	अनुसूची IV की वस्तुएँ	1%	4%	5%	13.5%	14.5%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल
1										
2										
3										
4										
	कुल									

(नोटः यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का व्यवहार करें)

II-अनिबंधित व्यवहारी / व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से क्रय :

화 0	अनिबंधित व्यवहारी का		क्रय का मूल्य							
सं0	नाम एवं अधिनाम जिससे क्रय किया गया है	पूरा पता	1%	4%	5%	13.5%	14.5%	मुफ्त आपूरित वस्तुएँ	कुल	
1										
2										
3										
4										
	कुल									

(नोटः यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

बॉक्स'-D (रिवर्स क्रेडिट)

	निम्नलिखित के कारण प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) :	मूल्य	कर
(i)	विनिर्माता व्यवहारी के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष का इनपुट—आउटपुट अनुपात (नियम 15 के अनुसार "K")		
(ii)	राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण		
(iii)	अन्तर्प्रान्तीय भंडार अंतरण		
(iv)	इस विवरणी को दाखिल करने वाले व्यवहारी द्वारा की गयी खरीद वापसी —		
(v)	वस्तुओं, उपहार अथवा स्व–उपभोग के अधिकार का अतंरण–		
(vi)	अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(vii)	अनुसूची I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री		
(viii)	चोरी हुई, खो गयी अथवा बर्बाद हो गयी वस्तुओं का मूल्य, यदि कोई हो		
(ix)	खरीद मूल्य से कम कीमत पर बेचे गये माल		
(x)	कुल प्रतिलोम जमा (रिवर्स क्रेडिट) (रिटर्न के कॉलम 14 पर ले जाया जाय)		

बॉक्स'—E-I/E-2 (पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस एवं ए०टी०एफ० की व्यवहारी वार बिक्री) बॉक्स E-I के योग वस्तुवार कॉलम 9(i)क से 9(i)घ पर ले जायें एवं बॉक्स— E-2 का योग बॉक्स के A कॉलम (ii) पर ले जायें

क्र० सं०	व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	करदाता पहचान सं0	की बिक्रीयों का मूल्य					
			पेट्रोल	डीजल	प्राकृतिक गैस	ए०टी०एफ०	कुल	
1								
2								
3								
कुल								

बॉक्स'—F
(दावों के समर्थन में जमा किये गये वैधानिक प्रपत्र/घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र का ब्यौरा)

क्रo संo	प्रपत्रों का विवरण	प्रपत्रों की संख्या	अवधि जिससे संव्यवहार संबंधित हैं	प्रपत्रों का मूल्य
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			
6	С			
7	EI/EII			
8	F			
9	Н			
10	I			
11	J			

बॉक्स- G [वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि पार्ट-II के क्रमांक 9 (ii) से 9(iii) तक में उल्लेखित है।]

क्र०			अन्	अनुसूची की प्रविष्टि संख्या					
सं०	वस्तु का विवरण	कर की दर	अनुसूची का नाम	अनुसूची का भाग, यदि कोई हो	प्रविष्टि संख्या				
1									
2									
3									
कुल									

(नोट:- यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

बॉक्स- H (विनिर्माता तथा कार्य संविदाकार व्यवहारियों द्वारा क्रय के ब्यौरे)

मेटेरियल	राज्य के अंदर से	राज्य के बाहर से	कुल
कच्चा माल			
पैकिंग मेटेरियल			
प्लान्ट तथा मषीनरी			
कुल			

बॉक्स I (वस्तुवार बिक्री का विवरण जैसा कि क्रमांक 9(i) (b) में उल्लेखित है।)

				वस्तुवार	बिक्री का मूर	त्य एवं भुगतेय	ा कर	
क्रo. संo	अनुसूची IV के वस्तु का नाम (अनुसूची IV के क्रमांक 1 से 6 को छोड़कर)	कर दर	केवल बिक्री के प्रथम बिन्दु पर करारोपण होने वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	सभी बिन्दुओं पर भुगतेय कर वाले वस्तुओं की कुल बिक्री	स्तम्भ – 4 पर कुल कर	स्तम्भ – 5 पर कुल कर	नियम 10क के अन्तर्गत कर का सामंजन	कुल भुगतेय कर [6+(7-8)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
	कुल							

बॉक्स J (व्यवहारीवार एम०आर०पी० वस्तुओं की बिक्री का विवरण जैसा कि क्रमांक 9(vii) में उल्लेखित है।)

(i) निबंधित व्यवहारी को बिक्री :

	निबंधित व्यवहारी	करदाता				एम०आर०पी० व	स्तुओं का	मूल्य		
क्र० सं०	का नाम एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है	पहचान संख्या	अनुसूर्व र	गी III के मालों की बिक्री	अविर्निदिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०
			मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
1										
2										
3										
4										
	कुल									

(नोट:- यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

(ii) अनिबंधित व्यवहारी को बिक्री :

큙	व्यवहारी का नाम	पूर्ण पता				एम०आर०पी०	वस्तुओं क	। मूल्य		
o. सं o	एवं अधिनाम जिसको बिक्री की गयी है		अनुसूची III के मालों की बिक्री		अविर्निदिष्ट वस्तुओं की बिक्री		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०
			मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
1										
2										
3										
4					·					
	कुल				·					

(नोट:- यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

(iii) उपभोक्ताओं को बिक्री :

ĺ			एम०आर०पी० वस्तुओं का मूल्य										
			l के मालों की ब्रेक्री		ट वस्तुओं की बेक्री	;	कुल	मुफ्त अ	ापूर्तित वस्तु				
ĺ	उपभोक्ताओं को	व्यापार	व्यापार एम०आर०पी०		एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०				
	उपमाक्ताओं का बिक्री	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य मूल्य		मूल्य	मूल्य	मूल्य				
	ічял												

कुल एम०आर०पी० बिक्री (i)+(ii)+(iii) = रू०.....

बॉक्स K (धारा 15(5) के अन्तर्गत राज्य के अन्दर एम०आर०पी० वस्तुओं का भंडार अंतरण तथा खरीद से प्राप्त मालों का व्यवहारीवार विवरण जैसा कि क्रमांक 11 में उल्लेखित है।)

निबंधित व्यवहारी से खरीद / प्राप्त भंडार अंतरण

111414	त व्यवहारा स खरा	 	it ontes			<u> </u>		~		
	निबंधित				एम०आर	एम०आर०पी० वस्तुओं का क्रय/प्राप्ति मूल्य				
क्रo. संo	व्यवहारी का नाम एवं अधिनाम जिनसे खरीद / भंडार प्राप्त किया गया है।	करदाता पहचान संख्या	अनुसूची खरीद	III के मालों की ⁄ प्राप्त भंडार	अविर्निदिष्ट वस्तुओं की खरीद / प्राप्त मंडार		कुल		मुफ्त आपूर्तित वस्तु	
			व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०पी०	व्यापार	एम०आर०	व्यापार	एम०आर०
			मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	पी० मूल्य	मूल्य	पी० मूल्य
1										
2										
3										
	कुल									

(नोट:- यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पन्नों का उपयोग करें)

बॉक्स- L [वैट एवं प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत मासिक कर भुगतान का विवरण]

		-	=						
क्रo संo	माह का नाम	अधिनियम का नाम (वैट / प्रवेश कर)	माह का आउटपुट कर यदि कोई हो	माह का इनपुट टैक्स यदि कोई हो	माह में भुगतेय कर यदि कोई हो	भुगतान की गयी कर की राशि	भुगतान की गयी ब्याज की राशि	कर भुगतान की तिथि	चलान सं0
1									
2									
3									
कुल									

में घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न एवं विभिन्न बॉक्स में दिये गये विवरण सत्य एवं पूर्ण लेखाओं पर आधारित हैं।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि इस रिटर्न में दिये गये विवरण एवं दी गई विशिष्टियाँ एक निबंधित व्यवसायी के रूप में मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है तथा मैं इस रिटर्न को हस्ताक्षरित करने एवं दाखिल करने हेत् सर्वथा योग्य हूँ।

स्थान : प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर,

तिथि: व्यवसायी से प्रास्थिति

- 8. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-IV में संशोधन प्रतिस्थापन बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 से संलग्न फारम RT-IV के भाग—ग एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
 - 9. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी।

[सं०सं० बिक्री–कर/संशोधन–02/2015**–2234]** बिहार–राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान–सचिव।

17 जून 2016

एस०ओ० 156, एस०ओ० 155, दिनांक 17 जून 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं०सं० बिक्री—कर / संशोधन—02 / 2015—**2235]** बिहार—राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान—सचिव।

The 17th June 2016

S.O. 155 dated the 17th June 2016—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 (as amended from time to time) with immediate effect:-

Amendments

- 1. Substitution of sub-rule (2) of rule 19 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005—Sub-rule (2) of rule 19 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following:-
- "(2) Every register dealer, other than a dealer paying tax under sub-section (1) or sub-section (1A) or sub-section (4) of section 15, shall furnish to the authority specified in rule 62:-
 - (a) a quarterly return in Form RT-I in duplicate;
 - (b) an annual return in Form RT-III in duplicate. "
- 2. Substitution of sub-rule (3) of rule 19 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005—Sub-rule (3) of rule 19 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following:-
- "(2) Every dealer paying tax under sub-section (1) or sub-section (4) of section 15 shall furnish to the authority specified in rule 62 a quarterly return in Form RT-IV in duplicate:

Provided that the return for the fourth quarter shall be deemed to be the annual return in the respect of such a dealer."

- 3. Substitution of sub-rule (8) of rule 19 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005—Sub-rule (8) of rule 19 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following:-
- "(8) Notwithstanding anything contained in the Rules, the Commissioner, Commercial Taxes, by notification, may issue an order to file return or statements specified in the rules, through electronic device in respect of any registred dealer or any class of registered dealers or all registered dealers or transporters etc."
- **4**. **Amendment in Rule 33 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005**—The words "forty lacs" used in Sub-rule (5) of rule 33 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the words "one crore."
- **5.** Substitution of Form RT-I appended to the Bihar Value Added Tax Rule, 2005 Form RT-I appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following form RT-I, namely—

" Form RT-I"
[See Rule 19(2)]

Quarterly Return under section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005

Name and style of the dealer:

TIN:

Period of Return (Quarter and Year):

Part I (Details of turnover/transfers)

1	Gross Turnover (including value of debit notes):
	Deductions:
2	Sales in the course of inter-state trade and commerce
3(i)	Value of sales outside the state under section 4 of the
3(1)	Central Sales Tax Act, 1956
3(ii)	Value of stock transfer to outside the state
4	Value of sales return of goods within 6 months of sale
4	under the Act
5	Export sales
6	Amount of other allowable deductions [As per Box A]
7	Total of deductions [2+3+4+5+6]
8	Taxable turnover [1-7]

Part II (Output tax)

Rate wise bifurcation of output tax:

9	Description of sale	Rate of tax	Turnover of sale	Tax payable
(i)(a)	Sale of Motor Spirit by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(b)	Sale of HSD Oil and Light Diesel Oil by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(c)	Sale of ATF by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			

Sale of Natural Gas by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1) (i)(e) Sale of Country Liquor/Spiced Country Liquor whether imported from other countries or manufactured in India Sale of other schedule IV goods (except sl. no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box I] (i)(h) Others specify Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished (a) (iv) Goods not specified i				
(i)(e) Sale of Country Liquor/Spiced Country Liquor				
as per Box E-1) (i)(e) Sale of Country Liquor/Spiced Country Liquor Sale of Potable Spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India Sale of other schedule IV goods (except sl. no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box I] (i)(h) Others specify (ii) Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= {(ii) + (iii) + (iii) + (iiv)(a) + (iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vi) Turnover liable to Purchase tax Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(ii)(a)+(i)(b)+(i)(c)+(i)(d)+	(i)(d)			
(i)(e) Sale of Country Liquor/Spiced Country Liquor Sale of Potable Spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India Sale of other schedule IV goods (except sl. no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box I] (i)(h) Others specify Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule 13.50% (iv) Goods not specified in any of the schedule 14.50% Total sales of goods u/s 13(1)= {(ii)+(iii)+(iiv)(a) + (iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vi) Turnover liable to Purchase tax Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(ii)(a)+(i)(b)+(i)(c)+(i)(d)+		_ ·		
(i)(f) Liquor Sale of Potable Spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India Sale of other schedule IV goods (except sl. no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box I] (i)(h) Others specify (ii) Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= (v) {(ii)+(iii)+(iiv)(a) + (iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filling this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vi) Turnover liable to Purchase tax [viii) Turnover liable to Purchase tax Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+(i)(c)+(i)(d)+		·		
Sale of Potable Spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India Sale of other schedule IV goods (except sl. no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box I] (i)(h) Others specify Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= (v) {(ii)+(iii)+(iv)(a) + (iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+(i)(c)+(i)(d)+	(i)(e)			
manufactured in India Sale of other schedule IV goods (except sl. no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box I] (ii)(h) Others specify (iii) Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= {(iii)+(iii)+(iv)(a) + (iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vi) Turnover liable to Purchase tax Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		•		
(i)(g) Sale of other schedule IV goods (except sl. no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box I] (i)(h) Others specify (ii) Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= {(ii)+(iii)+(iv)(a) +(iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing (vi) this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax [viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	(i)(f)	whether imported from other countries or		
(i)(g) no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box I] (i)(h) Others specify (ii) Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= (v) {(ii)+(iii)+(iv)(a) +(iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing (vi) this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		manufactured in India		
furnished as per Box I] (i)(h) Others specify (ii) Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= (v) {(iii)+(iii)+(iv)(a) +(iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing (vi) this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+(i)(c)+(i)(d)+		Sale of other schedule IV goods (except sl.		
(i)(h) Others specify (ii) Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= (v) {(ii)+(iii)+(iv)(a) + (iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing (vi) this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	(i)(g)	· -		
(ii) Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= {(ii)+(iii)+(iv)(a) + (iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing (vi) this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		• -		
(iii) sales to be furnished as per box G) (iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= ((ii)+(iii)+(iv)(a) +(iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing (vi) this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	(i)(h)			
(iii) Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) 13.50% (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) 14.50% Total sales of goods u/s 13(1)= (v) {(ii)+(iii)+(iv)(a) +(iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	(ii)		1%	
(iii) sales to be furnished as per box G) (iv) Goods not specified in any of the schedule (a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= (v) {(ii)+(iii)+(iv)(a) +(iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing (vi) this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	,	·		
(iv) Goods not specified in any of the schedule (iv) Goods not specified in any of the schedule (iv) Goods not specified in any of the schedule (iv) Goods not specified in any of the schedule (v) Total sales of goods u/s 13(1)= (v) {(ii)+(iii)+(iv)(a) +(iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing (vi) this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	(iii)		5%	
(a) (iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= (v) {(ii)+(iii)+(iv)(a) +(iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		·		
(iv) Goods not specified in any of the schedule (b) Total sales of goods u/s 13(1)= (v) {(ii)+(iii)+(iv)(a) +(iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing (vi) this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		Goods not specified in any of the schedule	13.50%	
Total sales of goods u/s 13(1)= (v) {(ii)+(iii)+(iv)(a) +(iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		Goods not specified in any of the schedule	4.4.500/	
(v) {(ii)+(iii)+(iv)(a) +(iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	(b)	· ·	14.50%	
wise sales to be furnished as per Box B] Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		, , ,		
Sale of such goods in respect of which tax on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	(v)			
on MRP has been paid by the dealer filing this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		, -		
(vi) this return in terms of section 15(5)(a) [Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		,		
[Details of dealer wise sales to be furnished as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	(v.i)	, ,		
as per Box J] (vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	(VI)	` ` ` `		
(vii) Turnover liable to Purchase tax (viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		-		
(viii) Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	(vii)	•		
greater than 13 Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+				
Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+	(viii)			
(i)(e)+(i)(f)+ (i)(g)+(i)(h)+ (v)+(vi)+(vii)+(viii)]	10	Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		
	10	(i)(e)+(i)(f)+(i)(g)+(i)(h)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)		

Part III (Details of purchases/receipts)

	Value of	Goods			0	ther t	axable go	ods	Total
11	Purchase/ receipts during the quarter:	notified u/s 15(5)*	Schedule IV goods	Schedule I goods	1%	5%	13.5%	14.5 %	
(i)	Purchases from within the state [Details of dealer wise purchases to be submitted as per Box C]								
(ii)	Purchase from outside the state	_							
(iii)	Stock transfer								

	receipts from within the state					
(iv)	Stock transfers receipts from outside the state	-				
12	Total of Purchase/recei pts					

^{*}Furnish dealer wise purchase/receipt of goods within the state notified under section 15(5) as per Box 'K'

Part IV (Input Tax Credit and Tax payable)

		Value	Tax
	Input tax (including purchase tax in case of		
13	manufacturers) paid by the dealer on		
	purchases during the quarter		
14	Reverse Credit [As per Box D]		
15	Input tax credit on account of capital goods under rule 12		
16	Unadjusted Input tax credit brought forward from previous quarter		
17	Total Input tax credit for the quarter [(13-14)+15+16]		
18	Rebate under section 24(12) [to be claimed only if 10 is greater than 17 and to be computed on 10-17]		
19	Surcharge payable under section 3A		
20	Additional Tax payable under section 3AA		
21	Total of output tax, surcharge and additional		
21	tax (net of rebate)[(10-18)+19+20]-		
22(i)	VAT payable for the quarter [21-17] if 21 is greater than 17		
22(ii)	Interest payable		
22(iii)	Total tax payable for the quarter [22(i)+22(ii)]		
23	Unadjusted input tax credit [17-21] if 17 is greater than 21		
24(i)	Central Sales Tax admitted		
24(ii)	Adjustment of unadjusted input tax credit from liability under CST Act, 1956		
24(iii)	Central Sales Tax payable, if any [24(i)-24(ii)]		
25/:\	Input tax credit carried forward [23-24(ii)] if 23		
25(i)	is greater than 24(ii)		
25(ii)	Vat paid to the extent of VAT payable in the month/months of the quarter		
25(iii)	Total input tax credit carried forward [25(i)+25(ii)]		

Part V (Payment Details)

26	Payment details: (Tax paid under VAT and Entry tax shall be	
	furnished as per box L)	
(i)	By way of entry tax set-off, if any	
(ii)	By way of purchase tax paid (in case of a manufacturer only)	
(iii)	By way of advance tax, if any, paid under section 3(7)	
(iv)	By way of advance deduction under section 40 or 41 (attach	
(1V)	certificate in form C-II)	
(v)	DD/cheque (specify number, dates of payments and name of issuing	
(٧)	bank)	
(vi)	Cash	
	By way of adjustment on account of excess paid during any earlier	
(vii)	month of the same financial year (give details of computation of	
	such excess and the mode of its payment)	
(viii)	Any other mode eg. Deferment, etc. (specify mode)	
(ix)	Excess tax carried forward to the next quarter	

I declare that the statements furnished in this return are based upon true and complete accounts and tax payable as indicated in column 22 has been paid by Treasury challan or in the mode indicate in column 26 and that the challans and/or deduction certificates in form C-II in respect of the said payments/deductions are enclosed herewith by way of evidence.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales tax Registered dealer are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am always competent to sign and submit this return.

Date: Signature of authorised person Place: Status in relation to dealer

Box A (other allowable deductions)

	Deduction on account of:	Value
/i\		Value
(i)	Sales of goods mentioned in Schedule I of the Act	
	Sale of Petrol, Diesel, ATF and Natural Gas by an Oil Company to	
/ii\	another Oil Company (a list of different goods to be annexed to this	
(ii)	return separately alongwith their respective sales values) [Details of	
	goods sold to different companies to be submitted as per Box E-2]	
(iii)	Value of stock transfers within the state of Bihar	
/is.d	Amount of labour charges and other charges in case of a works	
(iv)	contract	
(,,)	Sales of goods on which tax has been paid on MRP at the time of their	
(v)	purchase in terms of section 15(5)	
	Sale of petroleum products on which tax has been paid on the first	
, .,	point of sale u/s 13(2) (b) of the Act (a list of different goods to be	
(vi)	annexed to this return separately alongwith their respective sales	
	value)	
(vii)	Sales to organisations specified in Schedule V.	
	Total [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)] { to be taken to line 6 of the	
	return.}	

Box B (Dealer wise sale of taxable goods at line 9(v) above)

I. Sales to registered dealers:

	Name and style of			Value of sales:							
Sl. No.	registered dealer to	TIN						Goods			
31. 140.	whom sale is made	1111	1%	4%	5%	13.50%	14.50%	supplied	Total		
	willoui sale is illaue							free of cost			
1											
2											
3											
4											
	Total										

(Note: Use additional sheets if required)

II. Sales to unregistered dealers:

	Name and					Valu	ie of sales	:	
SI. No.	style of registered dealer to whom sale is made	Complete address	1%	4%	5%	13.50%	14.50%	Goods supplied free of cost	Total
1									
2									
3									
4									
	Total								

(Note: Use additional sheets if required)

III. Sale to consumers:

	Value of sales:									
	1%	4%	5%	13.50%	14.50%	Goods supplied free of cost	Total			
Total Sale to										
consumers										

Box C [Dealer wise purchase of taxable goods within the state at line 11(i) above excluding Schedule I and MRP goods]

I. Purchases from registered dealers:

	1. Turchases from registered dealers.										
	Name and style of			Value of purchases:							
SI. No.	registered dealer from whom purchase is made	TIN	Schedule IV goods	1%	4%	5%	13.50%	14.50%	Goods received free of cost	Total	
1											
2											
3											
4											
								_			
	Total										

(Note: Use additional sheets if required)

II. Purchases from unregistered dealers/Persons other than dealers:

	Name and style of		Value of purchases:								
SI. No.	unregistered dealer from whom purchase is made	Complet e address	1%	4%	5%	13.50 %	14.50 %	Goods received free of cost	Total		
1											
2											
3											
4											
	Total										

(Note: Use additional sheets if required)

Box D (Reverse credit)

	Reverse Credit on account of:	Value	Tax
/i\	Value of Input-Output ratio ("K" as per rule 15) of the previous		
(i)	year in case of a manufacturing dealer		
(ii)	Intra-state stock transfers		
(iii)	Inter-state stock transfers		
(iv)	Value of purchase return by the dealer filing this return		
(v)	Transfer of the right to use goods, gifts or self-consumption		
(vi)	Sale of goods specified in Schedule IV		
(vii)	Sale of goods specified in Schedule I		
(viii)	Value of goods stolen, lost, or destroyed, if any		
(ix)	Goods sold at a price lower than the corresponding purchase		
(IX)	price		
(x)	Total Reverse Credit [to be taken to line 14 of the return]		

Box E-1/E-2 (Dealer wise sale of MS, HSD, Natural Gas and ATF) [Commodity wise total of Box E-1 to be taken to line 9(i)(a) to line 9(i)(d) and total of Box E-2 to be taken to line (ii) of Box A]

SI.	Name and style of		Value of Sales of							
No.	registered dealer to whom sale is made	TIN	MS	HSD	Natural Gas	ATF	Total			
1										
2										
3										
4										
	Total									

Box F (Details of statutory Forms/Declarations/Certificates submitted in support of claims)

SI. No.	Type of Form	Number of Forms	Period to which transation relates	Value of Forms
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			

6	С		
7	EI/EII		
8	F		
9	Н		
10	ļ		
11	J		

Box G [Details of goods wise sales mentioned in line 9(ii) to 9(iii) above]

SI.	Description of	Rate of tax	Entr	y No. of Sched	Turnover of sale	
No.	goods		Name of schedule	Part of schedule, if any	Entry No.	

(Note: Use additional sheets if required)

Box H (Details of Purchases by Works Contractors and Manufacturing Dealers)

Materials	From within the State	From outside the State	Total
Raw Materials			
Packing Materials			
Plant & Machinery			
Total			

Box I [Details of goods wise sales mentioned in line 9(i)(g) above]

	Name of			Value of goo	ods wise sale	and tax pa	yable	
SI. No.	Schedule- IV goods (except Sl.No. 1to 6 of schedule- IV)	Rate of Tax	Total sale of goods on which tax is leviable on first point of sale only	Total sale of goods on which tax is payable at each point of sale	Total tax on column - 4	Total tax on column - 5	Adjust- ment of tax under Rule 10A	Total tax payable [6+(7- 8)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
	Total							

Box J (Dealer wise sales oF MRP goods mentioned in line 9(vi) above)

(i) Sales to registered dealers:

	Name and				١	/alue of N	/IRP goods	i		
SI. No.	style of registered dealer to whom sale is made	TIN	sale of Sch-III goods		sale of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost	
			Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP
			value	Value	value	Value	value	Value	value	Value
1										
2										
3										
4										
	Total									

(Note: Use additional sheets if required)

(ii) Sales to unregistered dealers:

(,	Name and	,		Value of MRP goods									
SI. No.	style of dealer to whom sale is made	Complete Address	sale of		sale of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost				
			Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP			
			value	Value	value	Value	value	Value	value	Value			
1													
2													
3				·									
4													
	Total		·										

(Note: Use additional sheets if required)

(iii) Sale to consumers:

		Value of MRP goods									
	sale of Sch-III goods		sale of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost				
Total Sale to	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value			
consumers											

Total MRP sales (i)+(ii)+(iii) = Rs.....

Box K (Dealer wise purchases /receipt of MRP goods within the state under section 15(5) as per sl.No. 11

	Name and			V	alue of pu	rchase/rec	eipt of Mi	RP goods		
SI. No.	style of registered dealer from whom purchase/receipt is made	TIN	purchase/receipt of Sch-III goods		purchase/receipt of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost	
			Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP
			value	Value	value	Value	value	Value	value	Value
1										
2										
3										
	Total									

(Note: Use additional sheets if required)

Box L [Details of monthwise payment of tax and interest under VAT, CST and Entry Tax]

SI.	Name	Name of	Output	Input tax	Tax	Amount	Amount	Date of	Challan
No.	of Month	the Act (VAT/ CST/ET)	tax during month if any	during month if any	payable in month if any	of tax paid	of interest paid	payment	No.
1									
2									
3									
	Total								

I declare that the statements furnished in this return and the various Boxes there to are based upon true and complete accounts.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales Tax Registered dealer are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this return.

Date:	Signature of authorised person
Place:	Status in relation to dealer

6. Substitution of Form RT-III appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 –

Form RT-III appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following namely—

" Form RT- III " [See Rule 19(2)]

Annual Return under section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005

Name	and	st۱	/le	of	the	dea	ler:

TIN:

Period of Return (Year):

Part I (Details of turnover/transfers)

1	Gross Turnover (including value of debit notes):
	Deductions:
2	Sales in the course of inter-state trade and commerce
3(i)	Value of sales outside the state under section 4 of the
	Central Sales Tax Act, 1956
3(ii)	Value of stock transfer to outside the state
4	Value of sales return of goods within 6 months of sale
	under the Act
5	Export sales
6	Amount of other allowable deductions [As per Box A]
7	Total of deductions [2+3+4+5+6]
8	Taxable turnover [1-7]

Part II (Output tax)

Rate wise bifurcation of output tax:

9	Description of sale	Rate of tax	Turnover of sale	Tax payable
(i)(a)	Sale of Motor Spirit by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company			
(i)(b)	Sale of HSD Oil and Light Diesel Oil by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company			
(i)(c)	Sale of ATF by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company			
(i)(d)	Sale of Natural Gas by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company			
(i)(e)	Sale of Country Liquor/Spiced Country Liquor			
(i)(f)	Sale of Potable Spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India			
(i)(g)	Sale of other schedule IV goods (except sl. no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box H]			
(i)(h)	Others specify			
(ii)	Goods specified in Schedule II (goods wise sales to be furnished as per box F)	1%		
(iii)	Goods specified in Schedule III (goods wise sales to be furnished as per box F)	5%		

(iv) (a)	Goods not specified in any of the schedule	13.50%	
(iv) (b)	Goods not specified in any of the schedule	14.50%	
(v)	Total sales of goods u/s 13(1)= ${(ii)+(iii)+(iv)(a)}$ +		
	(iv)(b)}		
(vi)	Sale of such goods in respect of which tax on MRP		
	has been paid by the dealer filing this return in		
	terms of section 15(5)(a)		
(vii)	Turnover liable to Purchase tax		
(viii)	Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater		
	than 13		
10	Total Output tax $[(i)(a)+(i)(b)+(i)(c)+(i)(d)+$		
	(i)(e)+(i)(f)+ (i)(g)+(i)(h)+ (v)+(vi)+(vii)+(viii)]		

Part III (Details of purchases/receipts and stock)

	Value of	Goods		Other taxable goods			oods		
11	Purchase/receipts/ stocks during the year	notified u/s 15(5)	Schedule IV goods	Schedule I goods	1%	5%	13.5%	14.5%	Total
(i)	Purchases from within the state								
(ii)	Purchase from outside the state								
(iii)	Stock transfer receipts from within the state								
(iv)	Stock transfers receipts from outside the state								
(v)	Value of opening stock								
(vi)	Value of closing stock						_		
12	Total of Purchase/receipts								

Part IV (Input Tax Credit and Tax payable)

		Value	Tax
13	Input tax (including purchase tax in case of manufacturers)		
	paid by the dealer on purchases during the year		
14	Reverse Credit [As per Box C]		
15	Input tax credit on account of capital goods under rule 12		
16	Unadjusted Input tax credit brought forward from previous		
	year		
17	Total Input tax credit for the year		
	[(13-14)+15+16]		
18	Rebate under section 24(12) [to be claimed only if 10 is		
	greater than 17 and to be computed on 10-17]		
19	Surcharge payable under section 3A	_	

20	Additional Tax payable under section 3AA	
21	Total of output tax, surcharge and additional tax (net of	
21	rebate)[(10-18)+19+20]-	
22(i)	VAT payable for the year [21-17] if 21 is greater than 17	
22(ii)	Interest payable	
22(iii)	Total tax payable for the year [22(i)+22(ii)]	
23	Unadjusted input tax credit [17-21] if 17 is greater than 21	
24(i)	Central Sales Tax admitted	
24(ii)	Adjustment of unadjusted input tax credit from liability under	
24(11)	CST Act, 1956	
24(iii)	Central Sales Tax payable, if any [24(i)-24(ii)]	
25	Refund of unadjusted input tax credit claimed under second	
23	proviso to section 16(1), if any	
26(i)	Input tax credit carried forward [23-{24(ii)+25}]	
26(ii)	Vat paid to the extent of VAT payable in the month/months	
26(11)	of the year	
26(iii)	Total input tax credit carried forward [26(i)+26(ii)]	

Part V (Payment Details)

27	Payment details: (Tax paid under VAT and Entry tax shall be						
	furnished as per box I)						
(i)	By way of entry tax set-off, if any						
(ii)	By way of purchase tax paid (in case of a manufacturer only)						
(iii)	By way of advance tax, if any, paid under section 3(7)						
(iv)	By way of advance deduction under section 40 or 41 (attach						
(10)	certificate in form C-II)						
(v)	DD/cheque (specify number, dates of payments and name of issuing						
(v)	bank)						
(vi)	Cash						
	By way of adjustment on account of excess paid during any earlier						
(vii)	month of the same financial year (give details of computation of such						
	excess and the mode of its payment)						
(viii)	Any other mode (specify mode)						
(ix)	Excess tax paid during the year	•					

I declare that the statements furnished in this return are based upon true and complete accounts and tax payable as indicated in column 22 has been paid by Treasury challan or in the mode indicate in column 27 and that the challans and/or deduction certificates in form C-II in respect of the said payments/deductions are enclosed herewith by way of evidence.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales tax Registered dealer are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this return.

Date: Signature of authorised person Place: Status in relation to dealer

Box A (other allowable deductions)

	Deduction on account of:	Value
(i)	Sales of goods mentioned in Schedule I of the Act	
(ii)	Sale of Petrol, Diesel, ATF and Natural Gas by an Oil Company to another Oil Company (a list of different goods to be annexed to this return separately alongwith their respective sales values) [Details of goods sold to different companies to be submitted as per Box D]	
(iii)	Value of stock transfers within the state of Bihar	
(iv)	Amount of labour charges and other charges in case of a works contract	
(v)	Sales of goods on which tax has been paid on MRP at the time of their purchase in terms of section 15(5)	
(vi)	Sale of petroleum products on which tax has been paid on the first point of sale u/s 13(2) (b) of the Act (a list of different goods to be annexed to this return separately alongwith their respective sales value)	
(vii)	Sales to organisations specified in Schedule V.	
Total	$[(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)]$ {to be taken to line 6 of the return.}	

Box B

Name of goods	Rate of tax	Turnover of sale	Tax Payable
Petrol			
Deisel			
ATF			
Natural Gas			
Total			

Box C (Reverse credit)

	Reverse Credit on account of:	Value	Tax
(i)	Value of Original Input-Output ratio ("K" as per rule 15) of the		
(1)	previous year in case of a manufacturing dealer		
(ii)	Value of Revised Input-Output ratio (Revised "K" as per rule		
(11)	16) of the current year in case of a manufacturing dealer		
(iii)	Intra-state stock transfers		
(iv)	Inter-state stock transfers		
(v)	Value of purchase return by the dealer filing this return		
(vi)	Transfer of the right to use goods, gifts or self-consumption		
(vii)	Sale of goods specified in Schedule IV		
(viii)	Sale of goods specified in Schedule I		
(ix)	Value of goods stolen, lost, or destroyed, if any		
(_V)	Goods sold at a price lower than the corresponding purchase		
(x)	price		
(xi)	Total Reverse Credit [to be taken to line 14 of the return]		

Box D [Dealer wise sale of MS, HSD, Natural Gas and ATF at Box A(ii) above]

SI.	Name and style of		Value of Sales of					
No.	registered dealer to whom sale is made	TIN	MS	HSD	Natural Gas	ATF	Total	
1								
2								
3								
	Total							

Box E (Details of statutory Forms/Declarations/Certificates submitted in support of claims)

Sl. No.	Type of form	Number of forms	Period of forms	Value of forms
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			
6	С			
7	EI/EII			
8	F			
9	H			
10	I			
11	J			

Box F [Details of goods wise sales mentioned in line 9(ii) to 9(iii) above]

	Description of goods Rate of tax		Ent	Turnover of sale		
SI. No.		Rate of tax	Name of schedule	Part of schedule, if any	Entry No.	

Box G (Details of Purchases by Works Contractors and Manufacturing Dealers)

Materials	From within the State	From outside the State	Total
Raw Materials			
Packing Materials			
Plant & Machinery			
Total			

Box H [Details of goods wise sales mentioned in line 9(i) (b) above]

SI.	Name of	Rate	Value of product wise sales and tax payable						
No.	Schedule- of		Total sale of	Total sale of	Total tax on	Total tax	Adjustment	Total tax	
	IV goods	Tax	goods on	goods on which	column - 4	on	of tax	payable	
	(except		which tax is	tax is leviable at		column -	under Rule	(6+7-8)	
	Sl.No. 1to 6		leviable on	each point of		5	10A		
	of		first point	sale					
	Schedule-		of sale only						
	IV)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
	Total								

Box I [Box[Details of monthwise payment of tax and interest under VAT, CST and Entry Tax]

SI. No.	Name of Month	Name of the Act (VAT/ CST/ET)	Output tax during month if any	Input tax during month if any	Tax payable in month if any	Amount of tax paid	Amount of interest paid	Date of payment	Challan No.
1									
2									
3									
4									
	Total								

I declare that the statements furnished in this return and the various Boxes there to are based upon true and complete accounts.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales Tax Registered dealer are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this return.

Date:	Signature of authorised person
Place:	Status in relation to dealer

7. Substitution of Form RT-V appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 –

Form RT-V appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following, namely—

" Form RT- V" [See Rule 19(4)]

Revised quarterly Return under section 24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005

Name and style of the dealer:

TIN:

Period of Return (Quarter and Year):

Part I (Details of turnover/transfers)

1	Gross Turnover (including value of debit notes):
	Deductions:
2	Sales in the course of inter-state trade and commerce
3(i)	Value of sales outside the state under section 4 of the
	Central Sales Tax Act, 1956
3(ii)	Value of stock transfer to outside the state
4	Value of sales return of goods within 6 months of sale
	under the Act
5	Export sales
6	Amount of other allowable deductions [As per Box A]
7	Total of deductions [2+3+4+5+6]
8	Taxable turnover [1-7]

Part II (Output tax)

Rate wise bifurcation of output tax:

9	Description of sale	Rate of tax	Turnover of sale	Tax payable
(i)(a)	Sale of Motor Spirit by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(b)	Sale of HSD Oil and Light Diesel Oil by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(c)	Sale of ATF by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(d)	Sale of Natural Gas by an Oil Company to a dealer/person other than an Oil Company (Details of dealer wise sales to be furnished as per Box E-1)			
(i)(e)	Sale of Country Liquor/Spiced Country Liquor			
(i)(f)	Sale of Potable Spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India			
(i)(g)	Sale of other schedule IV goods (except sl. no. 1 to 6 of schedule IV) [Details to be furnished as per Box I]			

(i)(h)	Others specify		
(ii)	Goods specified in Schedule II (goods wise	1%	
(11)	sales to be furnished as per box G)	170	
(iii)	Goods specified in Schedule III (goods wise	5%	
	sales to be furnished as per box G)	٥/٥	
(iv) (a)	Goods not specified in any of the schedule	13.50%	
(iv) (b)	Goods not specified in any of the schedule	14.50%	
	Total sales of goods u/s 13(1) {(ii)+(iii)+(iv)(a)		
(v)	+ (iv)(b)} [Details of dealer wise sales to be		
(*)	furnished as per Box B]		
	Sale of such goods in respect of which tax on		
(vi)	MRP has been paid by the dealer filing this		
(VI)	return in terms of section 15(5)(a) [Details of		
	dealer wise sales to be furnished as per Box J]		
(vii)	Turnover liable to Purchase tax		
(viii)	Excess of reverse credit [14-13] if 14 is greater		
(VIII)	than 13		
10	Total Output tax [(i)(a)+(i)(b)+ (i)(c)+(i)(d)+		
10	(i)(e)+(i)(f)+ (i)(g)+(i)(h)+ (v)+(vi)+(vii)+(viii)]		

Part III (Details of purchases/receipts)

		Goods			C	Total			
11	Value of Purchase/receipts during the quarter:	notified u/s 15(5)*	Schedule IV goods	Schedule I goods	1%	5%	13.5%	14.5%	
(i)	Purchases from within the state [Details of dealer wise purchases to be submitted as per Box C]								
(ii)	Purchase from outside the state	_							
(iii)	Stock transfer receipts from within the state								
(iv)	Stock transfers receipts from outside the state	_							
12	Total of Purchase/receipts								

^{*}Furnish dealer wise purchase/receipt of goods within the state notified under section 15(5) as per Box 'K'

Part IV (Input Tax Credit and Tax payable)

		Value	Tax
13	Input tax (including purchase tax in case of manufacturers) paid by the		
13	dealer on purchases during the quarter		
14	Reverse Credit [As per Box D]		
15	Input tax credit on account of capital goods under rule 12		
16	Unadjusted Input tax credit brought forward from previous quarter		

17	Total Input tax credit for the quarter	
	[(13-14)+15+16]	
18	Rebate under section 24(12) [to be claimed only if 10 is greater than	
10	17 and to be computed on 10-17]	
19	Surcharge payable under section 3A	
20	Additional Tax payable under section 3AA	
21	Total of output tax, surcharge and additional tax (net of rebate)[(10-	
21	18)+19+20]-	
22(i)	VAT payable for the quarter [21-17] if 21 is greater than 17	
22(ii)	Interest payable	
22(iii)	Total tax payable for the quarter [22(i)+22(ii)]	
23	Unadjusted input tax credit [17-21] if 17 is greater than 21	
24(i)	Central Sales Tax admitted	
24(ii)	Adjustment of unadjusted input tax credit from liability under CST Act,	
27(11)	1956	
24(iii)	Central Sales Tax payable, if any [24(i)-24(ii)]	
25(i)	Input tax credit carried forward [23-24(ii)] if 23 is greater than 24(ii)	
25(ii)	Vat paid to the extent of VAT payable in the month/months of the	
23(11)	quarter	
25(iii)	Total input tax credit carried forward [25(i)+25(ii)]	

Part V (Payment Details)

26	Payment details: (Tax paid under VAT and Entry tax shall be
	furnished as per box L)
(i)	By way of entry tax set-off, if any
(ii)	By way of purchase tax paid (in case of a manufacturer only)
(iii)	By way of advance tax, if any, paid under section 3(7)
(iv)	By way of advance deduction under section 40 or 41 (attach
(10)	certificate in form C-II)
(v)	DD/cheque (specify number, dates of payments and name of
(V)	issuing bank)
(vi)	Cash
	By way of adjustment on account of excess paid during any
(vii)	earlier month of the same financial year (give details of
	computation of such excess and the mode of its payment)
(viii)	Any other mode eg. Deferment, etc. (specify mode)
(ix)	Excess tax carried forward to the next quarter

I declare that the statements furnished in this return are based upon true and complete accounts and tax payable as indicated in column 22 has been paid by Treasury challan or in the mode indicate in column 26 and that the challans and/or deduction certificates in form C-II in respect of the said payments/deductions are enclosed herewith by way of evidence.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales tax Registered dealer are correct and

complete to the best of my knowledge and belief, and that I am always competent to sign and submit this return.

Date: Signature of authorised person Place: Status in relation to dealer

Box A (other allowable deductions)

	Deduction on account of:	Value
(i)	Sales of goods mentioned in Schedule I of the Act	
	Sale of Petrol, Diesel, ATF and Natural Gas by an Oil Company to another	
/::\	Oil Company (a list of different goods to be annexed to this return	
(ii)	separately alongwith their respective sales values) [Details of goods sold to	
	different companies to be submitted as per Box E-2]	
(iii)	Value of stock transfers within the state of Bihar	
(iv)	Amount of labour charges and other charges in case of a works contract	
(,,)	Sales of goods on which tax has been paid on MRP at the time of their	
(v)	purchase in terms of section 15(5)	
	Sale of petroleum products on which tax has been paid on the first point of	
(vi)	sale u/s 13(2) (b) of the Act (a list of different goods to be annexed to this	
	return separately alongwith their respective sales value)	
(vii)	Sales to organisations specified in Schedule V.	•
	Total [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)] { to be taken to line 6 of the return.}	

Box B (Dealer wise sale of taxable goods at line 9(v) above)

I. Sales to registered dealers:

Jaics	to registered dedicis.									
	Name and style of		Value of sales:							
Sl. No.	registered dealer to whom sale is made	TIN	1%	4%	5%	13.50%	Goods supplied free of cost	Total		
1										
2										
3										
4										
Total										

(Note: Use additional sheets if required)

II. Sales to unregistered dealers:

ii. Jaies to unregistered dealers.										
	Name and style of		Value of sales:							
SI. No.	Name and style of registered dealer to whom sale is made	Complete address	1%	4%	5%	13.50%	Goods supplied free of cost	Total		
1										
2										
3										
4										
	Total									
(Not	e: Use additional sheet	s if required)	·				•		

III. Sale to consumers:

		Value of sales:									
	1%	4%	5%	13.50%	Goods supplied free of cost	Total					
Total Sale to											
consumers											

Box C [Dealer wise purchase of taxable goods within the state at line 11(i) above excluding Schedule I and MRP goods]

I. Purchases from registered dealers:

	Name and style of				Va	lue o	f purchase	es:	
SI.	registered dealer	TIN	Schedule IV					Goods	
No.	from whom	IIIN	goods (other	1%	4%	5%	13.50%	received free	Total
	purchase is made		than liquor)					of cost	
1									
2									
3									
4									
	Total								

(Note: Use additional sheets if required)

II. Purchases from unregistered dealers/Persons other than dealers:

SI.	Name and style of	Complete	Value of purchases:							
No.	unregistered dealer from whom purchase is made	address	1%	4%	5%	13.50%	Goods received free of cost	Total		
1										
2										
3										
4										
	Total									

(Note: Use additional sheets if required)

Box D (Reverse credit)

	Reverse Credit on account of:	Value	Tax
/i)	Value of Input-Output ratio ("K" as per rule 15) of the previous		
(i)	year in case of a manufacturing dealer		
(ii)	Intra-state stock transfers		
(iii)	Inter-state stock transfers		
(iv)	Value of purchase return by the dealer filing this return		
(v)	Transfer of the right to use goods, gifts or self-consumption		
(vi)	Sale of goods specified in Schedule IV		
(vii)	Sale of goods specified in Schedule I		
(viii)	Value of goods stolen, lost, or destroyed, if any		
(ix)	Goods sold at a price lower than the corresponding purchase		
(IX)	price		
(x)	Total Reverse Credit [to be taken to line 14 of the return]		

Box E-1/E-2 (Dealer wise sale of MS, HSD, Natural Gas and ATF) [Commodity wise total of Box E-1 to be taken to line 9(i)(a) to line 9(i)(d) and total of Box E-2 to be taken to line (ii) of Box A]

SI.	Name and style of		Value of Sales of							
No.	registered dealer to whom sale is made	TIN	MS	HSD	Natural Gas	ATF	Total			
1										
2										
3										
4										
	Total									

Box F (Details of statutory Forms/Declarations/Certificates submitted in support of claims)

SI.	Type of Form	Number of Forms	Period to which	Value of Forms
No.	Type of Form		transation relates	
1	C-II			
2	D-III			
3	D-IV			
4	D-V			
5	D-XI			
6	С			
7	EI/EII			
8	F			
9	Н			
10	I			
11	J			

Box G [Details of goods wise sales mentioned in line 9(ii) to 9(iii) above]

SI.	Description of		Entry	No. of Schedu	Turnover of sale	
No.	Description of goods	Rate of tax	Name of schedule	Part of schedule, if any	Entry No.	
1						
2						
3						
	Total					

(Note: Use additional sheets if required)

Box H (Details of Purchases by Works Contractors and Manufacturing Dealers)

Materials	From within the State	From outside the State	Total
Raw Materials			
Packing Materials			
Plant & Machinery			
Total			

Box I [Details of goods wise sales mentioned in line 9(i)(g) above]

				Value of	goods wis	e sale and	tax payable	
SI. No.	Name of Schedule- IV goods (except SI.No. 1to 6 of schedule- IV)	Rate of Tax	Total sale of goods on which tax is leviable on first point of sale only	Total sale of goods on which tax is payable at each point of sale	Total tax on column - 4	Total tax on column - 5	Adjustment of tax under Rule 10A	Total tax payable [6+(7-8)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
	Total							

Box J (Dealer wise sales oF MRP goods mentioned in line 9(vi) above)

(i) Sales to registered dealers:

	Name					Value of MI	RP goods			
SI. No.	and style of registe red dealer to whom sale is made	TIN	sale of Sch-III goods		sale of unspecified goods		То	tal	Goods s free o	supplied of cost
			Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP
			value	Value	value	Value	value	Value	value	Value
1										
2										
3										
4										
T	otal									

(Note: Use additional sheets if required)

(ii) Sales to unregistered dealers:

	Name				,	Value of I	MRP good	ds		
SI. No.	and style of dealer to whom sale is made	Complete Address	sale of goo	Sch-III ods	sale unspe god	cified	Total		Goods supplied free of cost	
			Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP
			value	Value	value	Value	value	Value	value	Value
1										
2										
3										
4										
	Total									

(Note: Use additional sheets if required)

(iii) Sale to consumers:

				Value of M	IRP goods			
		Sch-III ods		unspecified oods	То	tal		supplied of cost
Total Sale to consumers	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value	Trade value	MRP Value

Total MRP sales (i)+(ii)+(iii) = Rs.....

Box K (Dealer wise purchases /receipt of MRP goods within the state under section 15(5) as per sl.No. 11)

Purchases/stock transfer receipt from registered dealer

	Name and			١	Value of pu	rchase/re	ceipt of N	1RP good	ds	
SI. No.	style of registered dealer from whom purchase/ receipt is made		purchase/ receipt of Sch-III goods		purchase/receipt of unspecified goods		Total		Goods supplied free of cost	
			Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP	Trade	MRP
			value	Value	value	Value	value	Value	value	Value
1										
2										
3										
4										
	Total									

(Note: Use additional sheets if required)

	DOX E [D	ctans or me	mento p	ayıncın or	tax and m	cerest arrae	. 1711, 651 6	and Entry ra	<u>^ </u>
SI.	Name	Name of	Output	Input	Tax	Amount	Amount	Date of	Challan
No.	of Month	the Act (VAT/ CST/ET)	tax during month if any	tax during month if any	payable in month if any	of tax paid	of interest paid	payment	No.
1									
2									
3									
-	Total								

Box L [Details of monthwise payment of tax and interest under VAT, CST and Entry Tax]

I declare that the statements furnished in this return and the various Boxes there to are based upon true and complete accounts.

I declare further that the statements made and particular furnished in and with this return in my capacity as a Sales Tax Registered dealer are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this return.

Date: Signature of authorised person Place: Status in relation to dealer

- **8.** Amendment in Form RT-IV appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 Part-C of Form RT-IV appended to the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 is hereby deleted.
- 9. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[(F.No.Bikri-kar/Sansodhan-02/2015-**2234**)]
By order of the Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 502-571+10-डी0टी0वि।

Website: http://egazette.bih.nic.in